रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 74] प्रयागराज, शनिवार, 11 जुलाई, 2020 ई० (आषाढ़ 20, 1942 शक संवत्) [संख्या 27

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	791–806	3075
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	551–563	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	117–129	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	337–363	975
स्टोर्स–पचैज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

नियुक्ति विभाग

अनुभाग-1

सेवानिवृत्ति

11 जून, 2020 ई0

सं0 853/दो-1-2020-19/1(4)/2010—उत्तर प्रदेश संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30 जून, 2020 को अपरान्ह में भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त होंगे—

1—श्री दिनेश चन्द्र, आई0ए0एस0 (एस0सी0एस0-2003)

2—श्रीमती कनक त्रिपाठी, आई0ए0एस0 (एस0सी0एस0-2003)

3—डा0 अख्तर रियाज, आई0ए0एस0 (एस0सी0एस0-2009)

4—डा0 आभा गुप्ता, आई0ए0एस0 (एस0सी0एस0-2010)

आज्ञा से,
धनन्जय शुक्ला,
विशेष सचिव।

अनुभाग-4

कार्यालय—ज्ञाप

16 जून, 2020 ई0

सं0 811/दो-4-2019-15(02)/2014—संयुक्त निबंधक (एडमिन-1), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या 13672/IV-2666/एडमिन(ए), दिनांक 20 सितम्बर, 2019 के क्रम में मैनुअल ऑफ गवर्नमेन्ट आर्डर के प्रस्तर-31 के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त श्री भूदेव गौतम, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फैजाबाद के सेवा अभिलेखों में उनका गृह जनपद मुरादाबाद के स्थान पर सम्भल परिवर्तित किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सं0 1024/दो-4-2019-15(02)/2014—संयुक्त निबंधक (एडमिन-1), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या 15944/IV-2813/एडमिन(ए), दिनांक 06 नवम्बर, 2019 के क्रम में मैनुअल ऑफ गवर्नमेन्ट आर्डर के प्रस्तर-31 के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त श्री अहमद उल्ला खां, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आगरा के सेवा अभिलेखों में उनका गृह जनपद मुरादाबाद के स्थान पर सम्भल परिवर्तित किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सं0 1034/दो-4-2019-15(02)/2014—संयुक्त निबंधक (एडमिन-1), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या 15015/IV-3215/एडमिन(ए), दिनांक 18 अक्टूबर, 2019 के क्रम में मैनुअल ऑफ गवर्नमेन्ट आर्डर के प्रस्तर-31 के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त श्री ज्ञानेन्द्र सिंह यादव, प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट, कैराना, शामली के सेवा अभिलेखों में उनका गृह जनपद गाजियाबाद के स्थान पर बागपत परिवर्तित किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आज्ञा से,
अरविन्द मोहन चित्रांशी,
विशेष सचिव।

अनुभाग-5

प्रोन्नति

17 जून, 2020 ई0

सं0 902/दो-5-2020-19/1(7)/90—श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश संवर्ग में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 1988 बैच के निम्नलिखित अधिकारियों को नियत वेतनमान रु0 2,25,000 (सातवें वेतन आयोग में यथासंशोधित पे-मैट्रिक्स में लेवल-17) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हैं—

क्र0सं0	नाम अधिकारी
1	2
	सर्वश्री—
1	आलेक कुमार-I
2	डॉ0 रजनीश दुबे
3	राजन शुक्ल
4	नवनीत कुमार सहगल
5	एम0वी0एस0 रामी रेड्डी
6	मनोज कुमार सिंह
7	तुरामल्ला वेंकटेश
8	अरविन्द कुमार
9	श्रीमती एस0 राधा चौहान

2—यह आदेश आज दिनांक 17 जून, 2020 के अपराह्न से प्रभावी होगा।

सं0 903/दो-5-2020-19/1(7)/90—श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश संवर्ग में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 1989 बैच के निम्नलिखित अधिकारियों को नियत वेतनमान रु0 2,25,000 (सातवें वेतन आयोग में यथासंशोधित पे-मैट्रिक्स में लेवल-17) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हैं—

क्र0सं0	नाम अधिकारी
1	2
	सर्वश्री/श्रीमती—
1	शशि प्रकाश गोयल
2	देवेश चतुर्वेदी
3	मोनिका एस0 गर्ग
4	आराधना शुक्ला
5	डिम्पल वर्मा
6	डॉ0 प्रशान्त त्रिवेदी
7	मनोज सिंह
8	अमित मोहन प्रसाद
9	सुरेश चन्द्र
10	संजय आर0 भूसरेड्डी
11	अनिल कुमार-I

2—यह आदेश आज दिनांक 17 जून, 2020 के अपराह्न से प्रभावी होगा।

सं0 904/दो-5-2020-19/1(7)/90—श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश संवर्ग में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 1988 बैच की अधिकारी सुश्री जूथिका पाटणकर को नियत वेतनमान रु0 2,25,000 (सातवें वेतन आयोग में यथासंशोधित पे-मैट्रिक्स में लेवल-17) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोफार्मा प्रोन्नति प्रदान करते हैं।

2—यह आदेश आज दिनांक 17 जून, 2020 के अपराह्न से प्रभावी होगा।

आज्ञा से,
मुकुल सिंहल,
अपर मुख्य सचिव।

वित्त विभाग

[लेखा परीक्षा]

कार्यालय—ज्ञाप

22 जून, 2020 ई0

सं0 आडिट-516/दस-2020-358(4)/19—श्री धर्मेन्द्र प्रकाश त्रिपाठी, वित नियंत्रक, मेडिकल कालेज, प्रयागराज द्वारा निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 के पद का अतिरिक्त प्रभार देखा जा रहा था। श्री त्रिपाठी का प्रयागराज से अन्यत्र स्थानान्तरण होने के कारण, श्री अजय कुमार द्विवेदी, अपर सचिव, (वित्त) लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज (ग्रेड पे 8,900) के पद का प्रभार अतिरिक्त रूप से दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री अजय कुमार द्विवेदी को उक्त अतिरिक्त प्रभार के लिये अलग से कोई वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।

आज्ञा से,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

राज्य कर विभाग

अनुभाग-1

तैनाती

05 जून, 2020 ई0

सं0 राज्य कर-1-399/11-2020-107/19—वाणिज्य कर, विभाग के नवपदोन्नत एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, वाणिज्य कर श्री राजेश सिंह (पूर्व तैनाती ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) वाणिज्यकर, सम्भाग-बी लखनऊ) को एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर, गोरखपुर के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

13 जून, 2020 ई0

सं0 राज्य कर-1-427/11-2020-73/2019—वाणिज्य कर, विभाग के श्री विष्णु प्रताप सिंह, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्पोरेट सर्किल) वाणिज्य कर, गोरखपुर को ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर (उच्च न्यायालय कार्य) प्रयागराज के पद पर एतद्द्वारा स्थानान्तरित/तैनात किया जाता है।

आज्ञा से,
राजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव।

राजस्व विभाग

अनुभाग-1

अधिसूचना

11 जून, 2020 ई0

सं0 578/एक-1-2020-24(1)/2018—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) व (घ) द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 1773/एक-1-2019-24(1)/2018, दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 द्वारा जनपद मीरजापुर के विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रबंधन में निहित कुल 85 गाटा कुल रकबा 470.304 हे0 भूमि का पुनर्ग्रहण करते हुये मैं0 जे0पी0 ऐसोसिएट्स लि0 द्वारा जनपद सोनभद्र में अस्थायी रूप से प्रस्तावित प्रयोग के लिये वांछित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि को वनीकरण हेतु वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निर्वतन पर रखने की अनुमति प्रदान की गयी थी। सम्प्रति मै0 जे0पी0 ऐसोसिएट्स लि0 द्वारा उक्त सीमेंट फैक्ट्री दिनांक 29 जून, 2017 को मै0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 को विक्रय कर दी गयी है।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल शासन द्वारा निर्गत उपरोक्त अधिसूचना संख्या 1773/एक-1-2019-24(1)/2018, दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 में जहां-जहां मै0 जे0पी0 ऐसोसिएट्स लि0 अंकित है, के स्थान पर मै0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 का नाम अंकित किये जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

तद्नुसार अधिसूचना संख्या 1773/एक-1-2019-24(1)/2018, दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 संशोधित समझी जाये। उक्त अधिसूचना दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 के शेष प्राविधान एवं शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

अनुभाग-14

अधिसूचना

09 जून, 2020 ई0

सं0 271/एक-14/2020—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 43 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करती हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट जिला बाराबंकी के 05 गांव, भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अन्तर्गत आबादी की सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के अधीन होगा—

अनुसूची

क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम
1	2	3	4
1	बाराबंकी	नवाबगंज	नरगिसमऊ
2	बाराबंकी	नवाबगंज	छतेनागढ़ी
3	बाराबंकी	नवाबगंज	मुरादाबाद
4	बाराबंकी	नवाबगंज	मोहम्मदपुर चौकी
5	बाराबंकी	नवाबगंज	मुजफ्फरमऊ

आज्ञा से,
रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 271/1-14/2020** :

No. 271/1-14/2020

Dated : *June* 09, 2020

In exercise of the powers under sub-section (2) of section 43 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006, the Governor is pleased to declare that the five (5) villages of District Bara Banki specified in the Schedule below shall be placed under Svamitva Yojna of Government of India for the purpose of Survey and Record operation of the village Abadi areas with effect from the date of publication of this notification in Gazette :

SCHEDULE

Sl. no.	District	Tehsil	Village
1	2	3	4
1	Bara Banki	Nawabganj	Nargismau
2	Bara Banki	Nawabganj	Chhatenagari
3	Bara Banki	Nawabganj	Muradabad
4	Bara Banki	Nawabganj	Mohammadpur Chowki
5	Bara Banki	Nawabganj	Muzaffarmau

By order,
RENUKA KUMAR,
Apar Mukhya Sachiv.

गोपन विभाग

अनुभाग-1

अवकाश

18 जून, 2020 ई0

सं0 7/2/11/2012टी0सी0-7/2/7/95-सी0एक्स0(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्रीमती सुनीता अग्रवाल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दिनांक 27 जनवरी, 2020 से दिनांक 28 जनवरी, 2020 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश की राज्यपाल महोदया द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सं0 7/2/11/2017-7/2/7/95-सी0एक्स0(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्री बाल कृष्ण नारायण, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निम्नांकित तालिका में इंगित अवधियों के अवकाश की राज्यपाल महोदया द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है–

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	2
1	दिनांक 14 नवम्बर, 2019 से दिनांक 15 नवम्बर, 2019 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
2	दिनांक 07 दिसम्बर, 2019 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
3	दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 से दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 तक 05 (पांच) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।

सं0 7/2/10/2017-7/2/7/95-सी0एक्स0(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्री बच्चू लाल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दिनांक 10 फरवरी, 2020 से दिनांक 14 फरवरी, 2020 तक 05 (पांच) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश की राज्यपाल महोदया द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सं0 7/2/5/2020-7/2/7/95-सी0एक्स0(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्री सुनीत कुमार, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दिनांक 16 जुलाई, 2019 से दिनांक 19 जुलाई, 2019 तक 04 (चार) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश की राज्यपाल महोदया द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सं0 7/1/8/2018-7/2/7/95-सी0एक्स0(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्री कौशल जयेन्द्र ठाकर, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दिनांक 02 जनवरी, 2020 से दिनांक 03 जनवरी, 2020 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश की राज्यपाल महोदया द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आज्ञा से,
राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव।

लोक निर्माण विभाग

अनुभाग-4

प्रोन्नति

15 जून, 2020 ई0

सं0 686/23-4-2020-55एनजी/2017–सहायक अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक) डिप्लोमा/डिग्री कोटे की पदोन्नति श्रेणी की रिक्तियों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (सपरामर्श चयनोन्नति प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के प्राविधानों के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के माध्यम से कराये गये चयन के फलस्वरूप आयोग के पत्र संख्या 598/05/पी/एस-6/2019-20, दिनांक 14 जनवरी, 2020 में प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर लोक निर्माण विभाग के श्री राम लोचन, अवर अभियन्ता (यांत्रिक) को सहायक अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक) के पद पर वेतन बैण्ड-2, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 5,400 (पुनरीक्षित पे बैण्ड-3 के लेवल-10) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित रूप से प्रोन्नति करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–श्री राम लोचन अग्रिम आदेशों तक अपनी वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही प्रोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुये यथावत कार्य करते रहेंगे। इनकी तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे तथा इनकी पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

3–उक्त प्रोन्नति आदेश रिट याचिका संख्या 12186/2019, विशेष अपील संख्या 417/2019 एवं रिट याचिका संख्या ए-16986/2019 एवं प्रकरण से संबंधित मा0 न्यायालयें में लम्बित अन्य वादों (यदि योजित हो) अथवा विचाराधीन प्रत्यावेदनों में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

आज्ञा से,
दुर्गा सिंह,
अनुसचिव।

चिकित्सा विभाग

अनुभाग-2

शुद्धि-पत्र

29 जनवरी, 2020 ई0

सं0 262/सेक-2-पांच-2020-1(6)/16टी0सी0–प्रादेशिक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के निदेशक ग्रेड के चिकित्साधिकारी डा0 उमाकान्त (वरि0क्र0-4946) को महानिदेशक ग्रेड (पुनरीक्षित वेतनमान पे-मैट्रिक्स लेवल-17) के पद पर शासन के आदेश संख्या 4348/सेक-2-पांच-19-1(6)/2016टी0सी0, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 द्वारा प्रादेशिक

चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के निदेशक ग्रेड के चिकित्साधिकारी डा0 बद्री विशाल (वरि0क्र-4953) को महानिदेशक ग्रेड (पुनरीक्षित वेतनमान पे-मैट्रिक्स लेवल-17) के पद पर आदेश संख्या 4349/सेक-2-पांच-19-1(6)/2016टी0सी0, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 द्वारा तथा प्रादेशिक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के निदेशक ग्रेड के चिकित्साधिकारी डा0 ज्ञान प्रकाश (वरि0क्र-4963) को महानिदेशक ग्रेड (पुनरीक्षित वेतनमान पे-मैट्रिक्स लेवल-17) के पद पर आदेश संख्या 4350/सेक-2-पांच-19-1(6)/2016टी0सी0, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 द्वारा प्रोन्नति के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2—अपर निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1फ/123/83/1129, दिनांक 20 जनवरी, 2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि महानिदेशक ग्रेड पुनरीक्षित वेतनमान पै-मैट्रिक्स लेवल-15 के अन्तर्गत आता है।

3—अतः शासन के उपरोक्त आदेश संख्या 4348/सेक-2-पांच-19-1(6)/2016टी0सी0, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019, आदेश संख्या 4349/सेक-2-पांच-19-1(6)/2016टी0सी0, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तथा आदेश संख्या 4350/सेक-2-पांच-19-1(6)/2016टी0सी0, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 में अंकित पुनरीक्षित वेतनमान पे-मैट्रिक्स लेवल-17 के स्थान पर पुनरीक्षित वेतनमान पे-मैटिक्स लेवल-15 पढ़ा जाय।

4—शासन के उपरोक्त आदेश संख्या 4348/सेक-2-पांच-19-1(6)/2016टी0सी0, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019, आदेश संख्या 4349/सेक-2-पांच-19-1(6)/2016टी0सी0, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तथा आदेश संख्या 4350/सेक-2-पांच-19-1(6)/2016टी0सी0, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

आज्ञा से,
हेमन्त कुमार,
विशेष सचिव।

प्रोन्नति

18 जून, 2020 ई0

सं0 1364/सेक-2-पांच-2020-1(4)/2017—उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 यथा संशोधित (सप्तम संशोधन) नियमावली, 2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के लेवल-3 (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 7,600) के चिकित्साधिकारी डा0 राम सिंगार (वरि0क्र0-8480क), उप जिला कुष्ठ अधिकारी, पीलीभीत को उनके आसन्न कनिष्ठ डा0 अल्पना रानी गुप्ता (वरि0क्र0-8938) व अन्य की संयुक्त निदेशक (लेवल-4) के पद पर पदोन्नति की तिथि 25 अप्रैल, 2019 से लेवल-4 संयुक्त निदेशक ग्रेड (वेतनमान रु0 37,400-67,000, ग्रेड पे रु0 8,700 पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर नोशनल पदोन्नति तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—डा0 राम सिंगार की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
वी0 हेकाली झिमोमी,
सचिव।

मत्स्य उत्पादन विभाग

नियुक्ति

01 जून, 2020 ई0

सं0 13/2020/529/सत्रह-म-2020-6-9(205)/2013टी0सी0—श्री राज्यपाल, सहायक निदेशक मत्स्य के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त श्री हरेन्द्र प्रसाद को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर उप निदेशक मत्स्य, वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे 6,600 (पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से

नियमित रूप से पदोन्नत करते हुये उन्हें उप निदेशक मत्स्य (मुख्यालय), मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के रिक्त पद पर तैनात किये जाने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

2—उप निदेशक मत्स्य के पद पर उक्त पदोन्नति रिट याचिका संख्या 22969/2016 अनिल कुमार गुप्ता व 02 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

3—उक्त नवपदोन्नत अधिकारी कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार-प्रमाणक शासन एवं निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे।

आज्ञा से,
एस0 एम0 ए0 रिजवी,
विशेष सचिव।

कृषि विभाग

अनुभाग-1

पदोन्नति

19 जून, 2020 ई0

सं0 2/2020/1047/12-1-20-110/2019—उ0प्र0 कृषि सेवा (समूह क पद) के उप कृषि निदेशक स्तर के निम्नलिखित अधिकारियों को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त कृषि निदेशक स्तर (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 7,600 मैट्रिक्स लेवल-12) के पदों पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं—

1—श्री अनिल कुमार तिवारी।

2—श्री हरेन्द्र कुमार उपाध्याय।

3—श्री राजेन्द्र कुमार सिंह।

4—श्री त्रयम्यक मणि त्रिपाठी।

5—श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान।

6—श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव।

7—डा0 अमरनाथ मिश्रा।

8—श्री रमेश कुमार।

9—श्री अंशु कुमार विश्नोई।

10—श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह।

2—उक्त प्रोन्नति मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 20764/2019 अशोक कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 19564 (एस0एस0)/2019 आनन्द कुमार त्रिपाठी व सुनील कुमार अग्निहोत्री बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 21053 (एस0एस0)/2019 इन्द्रदेव सिंह यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 22815(ए0एस0)/2019 डा0 अशोक तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं समान विषय पर योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अग्रिम निर्णय के अधीन होगी।

उपरोक्त अधिकारियों के तैनाती आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

उद्यान विभाग

नियुक्ति

12 जून, 2020 ई0

सं0 872/58-2020-अधि0-1/2017—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा जिला उद्यान अधिकारी, श्रेणी-2, ग्रेड-1 के पद पर सीधी भर्ती के द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप आयोग द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल श्री पुनीत कुमार पाठक पुत्र श्री धरनीधर पाठक, निवासी ग्राम—बैकनिया ताल्लुका महद, पोस्ट-शिवनगर, थाना-गजरौला कला, जनपद पीलीभीत, उ0प्र0 262122 (जन्म तिथि 11 जुलाई, 1990) को जिला उद्यान अधिकारी, श्रेणी-2, ग्रेड-1, वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स, लेवल-10 (ग्रेड वेतन 5,400 के पद पर निम्न शर्तों के साथ अस्थायी रूप से नियमित नियुक्ति करते हुये जिला उद्यान अधिकारी, बरेली के पद पर तैनात किये जाने के आदेश सहर्ष प्रदान करते हैं—

1—श्री पुनीत कुमार पाठक उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (समूह-ख) सेवानियमावली, 1993 यथासंशोधित में उल्लिखित व्यवस्थानुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेंगे।

2—श्री पुनीत कुमार पाठक को उल्लिखित वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेश के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते, जो भी हो देय होंगे।

3—उत्तर प्रदेश अस्थायी/स्थानापन्न सेवायें अस्थायी सरकारी सेवा (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975 के अन्तर्गत किसी समय सरकारी सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवक को दी गयी नोटिस द्वारा सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

4—सम्बन्धित अधिकारी एक माह के अन्दर कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वयमेव समाप्त माना जायेगा।

5—कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय न होगा।

6—श्री पुनीत कुमार पाठक को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से जो सेवा में सक्रिय हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण—पत्र।

(2) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(3) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(4) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(5) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

7—श्री पुनीत कुमार पाठक की ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर अवधारित की जायेगी।

8—श्री पुनीत कुमार पाठक अपनी योगदान रिपोर्ट की प्रति शासन/निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, 2-सप्रू मार्ग, उ0प्र0, लखनऊ को भी उपलब्ध करायेंगे।

सं0 873/58-2020-अधि0-1/2017—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा जिला उद्यान अधिकारी, श्रेणी-2, ग्रेड-1 के पद पर सीधी भर्ती के द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप आयोग द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर

श्री राज्यपाल श्री दिनेश कुमार अरूण पुत्र श्री मंगूलाल, निवासी-ग्राम-करसाह, पोस्ट-औसेर, जनपद कन्नौज, उ0प्र0 209736 (जन्म तिथि 10 मार्च, 1986) को जिला उद्यान अधिकारी, श्रेणी-2, ग्रेड-1, वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स, लेवल-10 (ग्रेड वेतन 5,400 के पद पर निम्न शर्तों के साथ अस्थायी रूप से नियमित नियुक्ति करते हुये जिला उद्यान अधिकारी, बागपत के पद पर तैनात किये जाने के आदेश सहर्ष प्रदान करते हैं–

1–श्री दिनेश कुमार अरूण, उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (समूह-ख) सेवानियमावली, 1993 यथासंशोधित में उल्लिखित व्यवस्थानुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेंगे।

2–श्री दिनेश कुमार अरूण को उल्लिखित वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेश के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते, जो भी हो देय होंगे।

3–उत्तर प्रदेश अस्थायी/स्थानापन्न सेवायें अस्थायी सरकारी सेवा (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975 के अन्तर्गत किसी समय सरकारी सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवक को दी गयी नोटिस द्वारा सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

4–सम्बन्धित अधिकारी एक माह के अन्दर कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वयमेव समाप्त माना जायेगा।

5–कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय न होगा।

6–श्री दिनेश कुमार अरूण को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से जो सेवा में सक्रिय हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण–पत्र।

(2) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(3) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(4) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(5) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

7–श्री दिनेश कुमार अरूण की ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर अवधारित की जायेगी।

8–श्री दिनेश कुमार अरूण अपनी योगदान रिपोर्ट की प्रति शासन/निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, 2-सप्रू मार्ग, उ0प्र0, लखनऊ को भी उपलब्ध करायेंगे।

सं0 874/58-2020-अधि0-1/2017–लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा जिला उद्यान अधिकारी, श्रेणी-2, ग्रेड-1 के पद पर सीधी भर्ती के द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप आयोग द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल श्री केशव राम चौधरी पुत्र श्री इन्द्र प्रसाद चौधरी द्वारा इनफिनिटी इण्टर कैफे, अपोजिट घासीराम गेट, बाउली, बिजरौल, लिंक रोड, बागपत, उ0प्र0 250611 (जन्म तिथि 30 अप्रैल, 1975) को जिला उद्यान अधिकारी, श्रेणी-2, ग्रेड-1, वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स, लेवल-10 (ग्रेड वेतन 5,400 के पद पर निम्न शर्तों के साथ अस्थायी रूप से नियमित नियुक्ति करते हुये जिला उद्यान अधिकारी, रायबरेली के पद पर तैनात किये जाने के आदेश सहर्ष प्रदान करते हैं–

1–श्री केशव राम चौधरी, उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (समूह-ख) सेवानियमावली, 1993 यथासंशोधित में उल्लिखित व्यवस्थानुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेंगे।

2—श्री केशव राम चौधरी को उल्लिखित वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेश के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते, जो भी हो देय होंगे।

3—उत्तर प्रदेश अस्थायी/स्थानापन्न सेवायें अस्थायी सरकारी सेवा (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975 के अन्तर्गत किसी समय सरकारी सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवक को दी गयी नोटिस द्वारा सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

4—सम्बन्धित अधिकारी एक माह के अन्दर कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वयमेव समाप्त माना जायेगा।

5—कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

6—श्री केशव राम चौधरी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से जो सेवा में सक्रिय हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(3) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(4) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(5) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

7—श्री केशव राम चौधरी की ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर अवधारित की जायेगी।

8—श्री केशव राम चौधरी अपनी योगदान रिपोर्ट की प्रति शासन/निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, 2-सप्रू मार्ग, उ0प्र0, लखनऊ को भी उपलब्ध करायेंगे।

सं0 875/58-2020-389/2016—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा जिला उद्यान अधिकारी, श्रेणी-2, ग्रेड-2 के पद पर सीधी भर्ती के द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप आयोग द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल श्री मृत्युन्जय सिंह पुत्र श्री सुरेश सिंह, निवासी चौखण्डी, सादतगंज, जनपद बाराबंकी, उ0प्र0 225206 (जन्म तिथि 13 नवम्बर, 1992) को जिला उद्यान अधिकारी, श्रेणी-2, ग्रेड-2, वेतनमान रु0 9,300-34,800, पे मैट्रिक्स, लेवल-8 (ग्रेड वेतन 4,800 के पद पर निम्न शर्तों के साथ अस्थायी रूप से नियमित नियुक्ति करते हुये जिला उद्यान अधिकारी, गोण्डा के पद पर तैनात किये जाने के आदेश सहर्ष प्रदान करते हैं—

1—श्री मृत्युन्जय सिंह, उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (समूह-ख) सेवानियमावली, 1993 यथासंशोधित में उल्लिखित व्यवस्थानुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेंगे।

2—श्री मृत्युन्जय सिंह को उल्लिखित वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेश के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते, जो भी हो देय होंगे।

3—उत्तर प्रदेश अस्थायी/स्थानापन्न सेवायें अस्थायी सरकारी सेवा (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975 के अन्तर्गत किसी समय सरकारी सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवक को दी गयी नोटिस द्वारा सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

4—सम्बन्धित अधिकारी एक माह के अन्दर कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वयमेव समाप्त माना जायेगा।

5—कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

6—श्री मृत्युन्जय सिंह को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से जो सेवा में सक्रिय हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण—पत्र।

(2) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(3) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(4) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(5) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

7—श्री मृत्युन्जय सिंह की ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर अवधारित की जायेगी।

8—श्री मृत्युन्जय सिंह अपनी योगदान रिपोर्ट की प्रति शासन/निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, 2-सप्रू मार्ग, उ0प्र0, लखनऊ को भी उपलब्ध करायेंगे।

सं0 876/58-2020-389/2016—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा जिला उद्यान अधिकारी, श्रेणी-2, ग्रेड-2 के पद पर सीधी भर्ती के द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप आयोग द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल श्री आशीष कटियार पुत्र स्व0 इतेन्द्रनाथ कटियार, निवासी धौरारा गजना, कानपुर नगर, उ0प्र0 209202 (जन्म तिथि 15 फरवरी, 1990) को जिला उद्यान अधिकारी, श्रेणी-2, ग्रेड-2, वेतनमान रु0 9,300-34,800, पे मैट्रिक्स, लेवल-8 (ग्रेड वेतन 4,800 के पद पर निम्न शर्तों के साथ अस्थायी रूप से नियमित नियुक्ति करते हुये जिला उद्यान अधिकारी, अमरोहा के पद पर तैनात किये जाने के आदेश सहर्ष प्रदान करते हैं—

1—श्री आशीष कटियार, उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (समूह-ख) सेवानियमावली, 1993 यथासंशोधित में उल्लिखित व्यवस्थानुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेंगे।

2—श्री आशीष कटियार को उल्लिखित वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेश के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते, जो भी हो देय होंगे।

3—उत्तर प्रदेश अस्थायी/स्थानापन्न सेवायें अस्थायी सरकारी सेवा (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975 के अन्तर्गत किसी समय सरकारी सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवक को दी गयी नोटिस द्वारा सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

4—सम्बन्धित अधिकारी एक माह के अन्दर कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वयमेव समाप्त माना जायेगा।

5—कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

6—श्री आशीष कटियार को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से जो सेवा में सक्रिय हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(3) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(4) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(5) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

7—श्री आशीष कटियार की ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर अवधारित की जायेगी।

8—श्री आशीष कटियार अपनी योगदान रिपोर्ट की प्रति शासन/निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, 2-सप्रू मार्ग, उ0प्र0, लखनऊ को भी उपलब्ध करायेंगे।

सं0 877/58-2020-389/2016—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा जिला उद्यान अधिकारी, श्रेणी-2, ग्रेड-2 के पद पर सीधी भर्ती के द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप आयोग द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल श्री राघवेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम नरेश, निवासी बी-3, श्याम वाटिका, कयामपुर मोड़, पोस्ट व थाना क्वार्सी, जनपद अलीगढ़, उ0प्र0 202002 (जन्म तिथि 08 जून, 1985) को जिला उद्यान अधिकारी, श्रेणी-2, ग्रेड-2, वेतनमान रु0 9,300-34,800, पे मैट्रिक्स, लेवल-8 (ग्रेड वेतन 4,800 के पद पर निम्न शर्तों के साथ अस्थायी रूप से नियमित नियुक्ति करते हुये जिला उद्यान अधिकारी, शाहजहांपुर के पद पर तैनात किये जाने के आदेश सहर्ष प्रदान करते हैं—

1—श्री राघवेन्द्र सिंह, उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (समूह-ख) सेवानियमावली, 1993 यथासंशोधित में उल्लिखित व्यवस्थानुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेंगे।

2—श्री राघवेन्द्र सिंह को उल्लिखित वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेश के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते, जो भी हो देय होंगे।

3—उत्तर प्रदेश अस्थायी/स्थानापन्न सेवायें अस्थायी सरकारी सेवा (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975 के अन्तर्गत किसी समय सरकारी सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवक को दी गयी नोटिस द्वारा सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

4—सम्बन्धित अधिकारी एक माह के अन्दर कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वयमेव समाप्त माना जायेगा।

5—कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय न होगा।

6—श्री राघवेन्द्र सिंह को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से जो सेवा में सक्रिय हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण—पत्र।

(2) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(3) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(4) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(5) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

7—श्री राघवेन्द्र सिंह की ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर अवधारित की जायेगी।

8—श्री राघवेन्द्र सिंह अपनी योगदान रिपोर्ट की प्रति शासन/निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, 2-सप्रू मार्ग, उ0प्र0, लखनऊ को भी उपलब्ध करायेंगे।

22 जून, 2020 ई0

सं0 940/58-2020-अधि0-1/2017—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा जिला उद्यान अधिकारी, श्रेणी-2, ग्रेड-1 के पद पर सीधी भर्ती के द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप आयोग द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री अतर सिंह, ग्राम व पो0-भैयां, तहसील-इगलास, जनपद अलीगढ़, उ0प्र0 222124 (जन्म तिथि 15 जुलाई, 1987) को जिला उद्यान अधिकारी, श्रेणी-2, ग्रेड-1, वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स, लेवल-10 (ग्रेड वेतन 5,400 के पद पर निम्न शर्तों के साथ अस्थायी रूप से नियमित नियुक्ति करते हुये जिला उद्यान अधिकारी, बिजनौर के पद पर तैनात किये जाने के आदेश सहर्ष प्रदान करते हैं—

1—श्री जितेन्द्र कुमार, उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (समूह-ख) सेवानियमावली, 1993 यथासंशोधित में उल्लिखित व्यवस्थानुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेंगे।

2—श्री जितेन्द्र कुमार को उल्लिखित वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेश के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते, जो भी हो देय होंगे।

3—उत्तर प्रदेश अस्थायी/स्थानापन्न सेवायें अस्थायी सरकारी सेवा (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975 के अन्तर्गत किसी समय सरकारी सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवक को दी गयी नोटिस द्वारा सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

4—सम्बन्धित अधिकारी एक माह के अन्दर कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वयमेव समाप्त माना जायेगा।

5—कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय न होगा।

6—श्री जितेन्द्र कुमार को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से जो सेवा में सक्रिय हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण—पत्र।

(2) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(3) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(4) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(5) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

7—श्री जितेन्द्र कुमार की ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर अवधारित की जायेगी।

8—श्री जितेन्द्र कुमार अपनी योगदान रिपोर्ट की प्रति शासन/निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, 2-सप्रू मार्ग, उ0प्र0, लखनऊ को भी उपलब्ध करायेंगे।

सं0 941/58-2020-अधि0-1/2017—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा जिला उद्यान अधिकारी, श्रेणी-2, ग्रेड-1 के पद पर सीधी भर्ती के द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप आयोग द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल डा0 हरित कुमार पुत्र श्री वीर सिंह कर्दम, निवासी म0नं0 एस0ई0-502, शास्त्रीनगर, थाना कविनगर, अपोजिट—सी0बी0आई0 एकेडमी, जनपद गाजियाबाद, उ0प्र0 201001 (जन्म तिथि 26 जून, 1987) को जिला उद्यान अधिकारी, श्रेणी-2, ग्रेड-1, वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स, लेवल-10 (ग्रेड वेतन 5,400 के पद पर निम्न

शर्तों के साथ अस्थायी रूप से नियमित नियुक्ति करते हुये जिला उद्यान अधिकारी, शामली के पद पर तैनात किये जाने के आदेश सहर्ष प्रदान करते हैं–

1–डा0 हरित कुमार, उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (समूह-ख) सेवानियमावली, 1993 यथासंशोधित में उल्लिखित व्यवस्थानुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेंगे।

2–डा0 हरित कुमार को उल्लिखित वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेश के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते, जो भी हो देय होंगे।

3–उत्तर प्रदेश अस्थायी/स्थानापन्न सेवायें अस्थायी सरकारी सेवा (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975 के अन्तर्गत किसी समय सरकारी सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवक को दी गयी नोटिस द्वारा सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

4–सम्बन्धित अधिकारी एक माह के अन्दर कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वयमेव समाप्त माना जायेगा।

5–कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय न होगा।

6–डा0 हरित कुमार को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से जो सेवा में सक्रिय हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण–पत्र।

(2) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(3) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(4) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(5) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

7–डा0 हरित कुमार की ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर अवधारित की जायेगी।

8–डा0 हरित कुमार अपनी योगदान रिपोर्ट की प्रति शासन/निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, 2-सप्रू मार्ग, उ0प्र0, लखनऊ को भी उपलब्ध करायेंगे।

आज्ञा से,
बी0एल0 मीणा,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0–15 हिन्दी गजट–भाग 1–2020 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0 प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 11 जुलाई, 2020 ई० (आषाढ़ 20, 1942 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

जिलाधिकारी, वाराणसी की आज्ञायें

20 जून, 2020 ई0

सं0 6015/सात-भू0सु0/2020–मा0 मंत्री जी डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार महोदय के पत्र दिनांक 13 मार्च, 2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद वाराणसी की विधानसभा शिवपुर के अन्तर्गत ब्लॉक चिरईगांव के ग्राम पचराव, परगना जाल्हूपुर, तहसील सदर, जनपद वाराणसी में स्थित आराजी नं0 35 रकबा 0.100 हे0, आ0नं0 37 रकबा 0.029 हे0, आ0नं0 40 रकबा 0.013 हे0 कुल 03 गाटा रकबा 0.142 हे0 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक राजकीय कन्या इण्टर कालेज स्वीकृत किया गया था, जिसका शिलान्यास गत 10 मार्च, 2019 को मा0 उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी द्वारा किया गया था, लेकिन वहां उपलब्ध जमीन विवादस्पद होने के चलते अभी तक स्वीकृत कालेज का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त राजकीय कन्या इण्टर कालेज के निर्माण हेतु विधानसभा शिवपुर के ब्लाक चिरईगांव में अन्य स्थान पर वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराते हुये शासन को अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत पुनः ग्राम बर्थराकलां, परगना कटेहर, तहसील सदर, जनपद वाराणसी में स्थित गाटा संख्या 319 रकबा 0.214 हे0 भूमि है, जो राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 5-3-ङ बंजर खाते में अंकित है, जो चौबेपुर बलुआ मुख्य मार्ग पर स्थित है तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजकीय इण्टर कालेज बर्थराकला, वाराणसी के निर्माण हेतु प्रस्तावित की गयी है। ऐसी स्थिति में पूर्व में पारित पुनर्ग्रहण आदेश संख्या 5227/सात-भू0सु0)/2019, दिनांक 25 फरवरी, 2019 को निरस्त किया जाना आवश्यक है।

अतएव ग्राम पचराव, परगना जाल्हूपुर, तहसील सदर, जनपद वाराणसी में स्थित आराजी नं0 35 रकबा 0.100 हे0, आ0नं0 37 रकबा 0.029 हे0, आ0नं0 40 रकबा 0.013 हे0, कुल 03 गाटा रकबा 0.142 हे0 (बंजर भूमि) का पुनर्ग्रहण आदेश संख्या 5227/सात-भू0सु0)/2019, दिनांक 25 फरवरी, 2019 को निरस्त किया जाता है तथा पुनः उक्त ग्राम की श्रेणी 5-3-ङ बंजर खाते में दर्ज किया जाये।

सं0 6016/सात-भू0सु0/2020, शासनादेश संख्या 68/3-2(6)/79रा-1, दिनांक 01 जुलाई, 1983 एवं अद्यतन शासनादेश 744/एक-1-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उप धारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करने तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 745/एक-1-2016(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुये मैं, कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी, वाराणसी अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशानुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित गांव सभा में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं। तदुपरान्त अनुसूची में क्रम संख्या 7/8 में उल्लिखित आराजी माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजकीय बालिका इण्टर कालेज, (पचंराव), वाराणसी के निर्माण हेतु को हस्तगत कराया जाये।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गांवसभा	प्लाट सं0/गाटा सं0	क्षेत्रफल	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	वाराणसी	सदर	कटेहर	बर्थराकला	बर्थराकला	319	0.219 हे0 श्रेणी 5-3-ङ बंजर भूमि	माध्यमिक शिक्षा विभाग (राजकीय बालिका इण्टर कालेज) (बर्थराकला) वाराणसी के निर्माण हेतु

सं0 6017/सात-भू0सु0/2020, शासनादेश संख्या 68/3-2(6)/79रा-1, दिनांक 01 जुलाई, 1983 एवं अद्यतन शासनादेश 744/एक-1-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उप धारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करने तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 745/एक-1-2016(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुये मैं, कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी, वाराणसी अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशानुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित गांव सभा में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हॅं। तदुपरान्त अनुसची में क्रम संख्या 7/8 में उल्लिखित आराजी कृषि कल्याण केन्द्र (कन्स्ट्रक्शन आफ मल्टीपरपज सीड स्टोर एण्ड टेक्नालाजी डिसेमिनेशन सेंटर), वाराणसी की निर्माण/स्थापना हेतु कृषि विभाग को हस्तगत कराया जाये।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गांवसभा	प्लाट सं0/गाटा सं0	क्षेत्रफल	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	वाराणसी	पिण्डरा	पन्द्रह	कुसमुरा	कुसमुरा	731	0.162 हे0 श्रेणी 5-3-ङ बंजर भूमि	कृषि विभाग (कृषि कल्याण केन्द्र कन्स्ट्रक्शन आफ मल्टीपरपज सीड स्टोर एण्ड टेक्नालाजी डिसेमिनेशन सेंटर) की निर्माण/स्थापना

कौशल राज शर्मा,
जिलाधिकारी,
वाराणसी।

कार्यालय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी

(प्रशासन), अयोध्या

16 जून, 2020 ई0

अधिसूचना

सं0 1873/अधि0-स0सु0/2020—केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटायानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।

और, जहां उक्त अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक 06 अप्रैल, 2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1988 के नियम 178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अयोध्या जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गों या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है :

क्र0 सं0	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहां से कहां तक) जहां गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			टू व्हीलर/ थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यान	समस्त मालयान एवं स्तम्भ 4, 5 एवं 6 को छोड़ कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
1	फैजाबाद (अयोध्या) से दर्शननगर—पूराबाजार—मया बाजार—गोशाईगंज— अकबरपुर (अम्बेडकरनगर) (राष्ट्रीयकृत मार्ग)	फैजाबाद (अयोध्या) से दर्शननगर—पूराबाजार—मया बाजार तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
2	फैजाबाद (अयोध्या) से मुम्ताजनगर—सोहावल—रौनाही — भेलसर—बाराबंकी मार्ग (राष्ट्रीयकृत मार्ग)	फैजाबाद (अयोध्या) से सोहावल—रौनाही तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
3	फैजाबाद (अयोध्या) से इनायतनगर—कुचेरा बाजार—मिल्कीपुर—कुमारगंज— हलियापुर—जगदीशपुर मार्ग (राष्ट्रीयकृत मार्ग)	फैजाबाद (अयोध्या) से इनायतनगर—कुचेरा बाजार तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा

1	2	3	4	5	6	7
4	फैजाबाद (अयोध्या) से मसौधा–पूराकलन्दर–भरत-कुण्ड–बीकापुर–कूड़ेभार–सुल्तानपुर मार्ग (राष्ट्रीयकृत मार्ग)	फैजाबाद (अयोध्या) से मसौधा–पूरा-कलन्दर–भरत. कुण्ड–बीकापुर तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
5	फैजाबाद (अयोध्या) से कटरा–बस्ती–गोरखपुर मार्ग (राष्ट्रीयकृत मार्ग)	फैजाबाद (अयोध्या) से नया घाट तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा

गति संबंधी उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा–

(i) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनों छोर–प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिये रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।

(ii) उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा–

(अ) अगिन शमन वाहन

(ब) एम्बुलेंस।

(स) पुलिस वाहन।

(द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।

(य) प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिये प्रयुक्त वाहन।

(iii) उपरोक्त तालिका के कॉलम 3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गों के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 112 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक 06 अप्रैल, 2018, समय-समय पर यथा संशोधित द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत् लागू रहेगी।

नन्द कुमार,
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद अयोध्या।

कार्यालय, सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
बरेली सम्भाग, बरेली

03 जून, 2020 ई0

सं0 223/20-गति सीमा मार्गवार/2019–केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि यदि राज्य सरकार का या ऐसे किसी प्राधिकारी का जो इस

निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो, समाधान हो जाता है कि सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से या किसी सड़क या पुल के स्वरूप के कारण यह आवश्यक है कि मोटर यानों की गति परिसीमित की जाय, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और 116 के अधीन उचित स्थानों पर समुचित यातायात चिन्ह रखवाकर या लगवाकर मोटर यानों की या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्णन के मोटर यानों की या ऐसे मोटर यानों की जिनके साथ ट्रेलर संलग्न है या तो साधारणतया या किसी विशिष्ट क्षेत्र में या विशिष्ट सड़क या सड़कों के बारे में ऐसी अधिकतम गति सीमाएं या न्यूनतम गति सीमाएं नियत कर सकेगी जो ठीक समझे।

उत्तर प्रदेश मोटरयान अधिनियम, 1998 के नियम 178 में वर्णित है कि किसी नगर निगम, नगरपालिका या नगर पंचायत के भीतर पुलिस अधीक्षक और अन्य क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपने अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र में या किसी सड़क पर गति पर निबन्धन या सामान्तया मोटरयानों या किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गो के मोटरयानों के प्रयोग पर निबन्धन या प्रतिषेध का ऐसा आदेश जैसा कि वह उचित समझे दे सकता है, ऐसे आदेश अधिसूचना द्वारा सरकारी गजट में और ऐसे स्थान या मार्ग पर या उसके निकट, जहां से लागू होते हैं, सूचना पट्टों के माध्यम से प्रकाशित किये जायेगें।

अतः मोटरवाहन अधिनियम, 1998 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान अधिनियम, 1998 के नियम 178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बरेली जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों के अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गों या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है :

क्र0 सं0	मार्ग का नाम एवं संख्या	बरेली जनपद में लम्बाई (कि0मी0 में)	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा प्रति कि0मी0 (प्रति घण्टा)			
			टू व्हीलर/थ्री व्हीलर/चौपहिया साइकिल	चालक सहित 8 सीटों तक वाले यात्री वाहन	चालक सहित 9 से अधिक सीटों तक वाले यात्री वाहन	समस्त मालयान एवं स्तम्भ 4, 5 एवं 6 को छोड़ कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
1	पीलीभीत–बरेली–मथुरा–भरतपुर मार्ग	25.000	50	70	60	60
2	बल्लिया–शीशगढ़ मार्ग	17.200	50	70	60	60
3	सेमीखेड़ा–बसुधरन–शेरगढ़ मार्ग	14.000	50	70	60	60
4	कनमन इटौआ–शरीफनगर मवई काजियानमार्ग	10.220	50	70	60	60
5	बसुधरन–इटौआ–गिरधपुर मार्ग	14.750	50	70	60	60
6	बरा बरौर अन्य जिला मार्ग	30.000	50	70	60	60
7	नवाबगंज–बिजौरिया–कुण्डरा कोठी से बहादुरगंज मार्ग	10.400	50	70	60	60
8	बहेड़ी वाहपुर नदेली मुड़िया कालोनी मार्ग से धीमरी ब्रिज नवादा पचपेड़ा फरीदपुर मार्ग	16.200	50	70	60	60

1	2	3	4	5	6	7
9	खटीमा सितारगंज नैनीताल मार्ग से सिंघनखेड़ मार्ग	9.600	50	70	60	60
10	भेजीपुरा से अग्रास होते हुये रा0मा0–24 शंखा पुल तक	19.600	50	70	60	60
11	आटा माण्डा से धौरा शाही मिर्जापुर होते हुये बल्लिया शीशगढ़ मार्ग तक	19.600	50	70	60	60
12	राजुनगला तिलमाची गिरधरुपर मार्ग	3.880	50	70	60	60
13	सिधौली सिहौर वाया सोहना सिहौर होते हुये हल्दीकला मार्ग	20.000	50	70	60	60
14	नवाबगंज शहरी भाग	3.000	50	70	60	60
15	अभयपुर रिठौरा मार्ग	7.000	50	70	60	60
16	भिटौरा बहेड़ी मार्ग	41.800	50	70	60	60
17	बहेड़ी वाहपुर नदेली भुडिया कालोनी मार्ग	16.200	50	70	60	60
18	बहेड़ी रम्पुरा मार्ग	1.950	50	70	60	60
19	हाफिजगंज का शहरी भाग	2.420	50	70	60	60
20	हाफिजगंज सेंथल जादीपुर मार्ग	17.160	50	70	60	60
21	मण्डनपुर जवाहरपुर वारिपट्टी होते हुये उद्यमसिंह नगर तक मार्ग	15.150	50	70	60	60
22	शीश बहेड़ी मार्ग	20.000	50	70	60	60
23	बल्लिया शीशगढ़ मार्ग से रामपुर सीमा तक	2.000	50	70	60	60
24	नवीगंज बीजामऊ कटैया कैमुआ मार्ग	8.000	50	70	60	60
25	रिछा जहानाबाद मार्ग	14.400	50	70	60	60
26	बहेड़ी रूदपुर मार्ग	16.400	50	70	60	60
27	बल्लिया शीशगढ़ मार्ग से बिहारीपुर अकीलाबाद होते हुये बसुधरन मार्ग	14.400	50	70	60	60
28	बरेली बागेश्वर मार्ग	3.200	50	70	60	60

1	2	3	4	5	6	7
29	बहेड़ी बंजरिया मार्ग	15.000	50	70	60	60
30	बहेड़ी मुडिया नवीबक्श मार्ग	18.200	50	70	60	60
31	सेमीखेड़ा देवरनिया बराबरौर मार्ग	11.986	50	70	60	60
32	टांडा सादात बरा बरौर मार्ग	10.200	50	70	60	60
33	बरेली पीलीभीत मार्ग से नौआ नगला होते हुये सनेकपुर मार्ग	9.000	50	70	60	60
34	गुरूवारा जोखनपुर पुरैनिया मार्ग	4.400	50	70	60	60
35	बल्लिया शीशगढ़ मार्ग	9.000	50	70	60	60
36	अखा मोड़ से बलई मझगवा होते हुये इस्माइलपुर मार्ग	15.650	50	70	60	60
37	मीरगंज जाम मार्ग	5.000	50	70	60	60
38	मीरगंज सिधौली सिहौर सहोडा मार्ग	10.000	50	70	60	60
39	आंवला से उसैता मार्ग	5.805	50	70	60	60
40	बागियाना रेलवे पोषक मार्ग	1.988	50	70	60	60
41	मकरन्दुपर रेलवे पोषक मार्ग	0.300	50	70	60	60
42	आंवला बदायूं मार्ग	8.000	50	70	60	60
43	रामनगर टाण्डा मार्ग	16.700	50	70	60	60
44	रामनगर बाड़ा गांव मार्ग	6.000	50	70	60	60
45	चम्पतपुर से रेवती बहोड़ खेड़ मार्ग	1.200	50	70	60	60
46	टांडा सिरौली मार्ग	4.700	50	70	60	60
47	आंवला सिौली मार्ग	8.500	50	70	60	60
48	देवचरा बल्लिया मार्ग	6.000	50	70	60	60
49	बल्लिया चांदपुर विशारतगंज	16.500	50	70	60	60
50	गैनी अखा मार्ग	13.300	50	70	60	60
51	रम्पुरा मोड़ से अलीगंज सिरौली मार्ग	40.100	50	70	60	60
52	मीरगंज सिरौली मार्ग	8.300	50	70	60	60
53	पैगा नगरी नैगवा मार्ग	0.900	50	70	60	60
54	मीरगंज दिवना मार्ग	9.600	50	70	60	60

1	2	3	4	5	6	7
55	पैगानगरी बहरौली मार्ग	6.500	50	70	60	60
56	मीरगंज सिधौली आबादी भाग	0.400	50	70	60	60
57	बरेली बागेश्वर मार्ग	3.500	50	70	60	60
58	बरेली बीसलपुर मार्ग	5.180	50	70	60	60
59	पीलीभीत बाईपास से चन्द्रपुर बिचपुरी मार्ग	1.000	50	70	60	60
60	कलक्टरबकगंज से जोगीठेर मार्ग	5.000	50	70	60	60
61	बुखारा मानपुर चकटिया फरीदपुर मार्ग	19.700	50	70	60	60
62	पीताम्बरपुर रेलवे पोषक मार्ग	0.350	50	70	60	60
63	फरीदपुर पडेरा मार्ग	10.000	50	70	60	60
64	बिलपुर पोषक मार्ग	0.390	50	70	60	60
65	टिसुआ शिवपुरी से नगरिया कला मार्ग	10.300	50	70	60	60
66	फतेहगंज दातागंज मार्ग	5.000	50	70	60	60
67	चैबारी मार्ग	2.300	50	70	60	60
68	ए0एच0 24 से गौसगेंज वाया सरांय धारमपुर होते हुये फतेहगंज दातागंज मार्ग	23.200	50	70	60	60
69	नकटी नारायनपुर क्योलडिया मधुनगला सन्नौर मार्ग	9.600	50	70	60	60
70	वीरपुर भदपुरा नकटी नारायनपुर मार्ग	5.000	50	70	60	60
71	फरीदपुर बीसलपुर मार्ग से मेहत्तपुर तिजा सिंह खनपुरा होते हुये मढ़ैया मार्ग	16.600	50	70	60	60
72	बरेली बीसलपुर मार्ग से मगरासा भौवा बाजार क्योलड़िया मार्ग	17.700	50	70	60	60
73	मान चकटिया रूरिया मार्ग	7.000	50	70	60	60
74	नवाबगंज बीजामऊ कटैया कैमुआ मार्ग	19.100	50	70	60	60

1	2	3	4	5	6	7
75	पीलीभीत बरेली बाईपास से डोरा लालपुर सिधाई गुरवान होते हुये केसरपुर तक	12.000	50	70	60	60
76	नरियावल बिथरी चैनपुर मार्ग (नरियावल कुआ डांडा तिराहे तक)	5.650	50	70	60	60
77	रिठौरा भण्डसर से खाईखेड़ा मार्ग	10.350	50	70	60	60
78	बरखन क्योलडिया नहर पटरी मार्ग	5.800	50	70	60	60
79	नवाबगंज दलेलनगर बहरजागीर मार्ग	16.000	50	70	60	60
80	फरीदपुर बीसलपुर मार्ग	19.000	50	70	60	60
81	फरीदपुर भुता मार्ग	15.500	50	70	60	60
82	जुबैदा जुबैदी से बिलासनगर भुता मार्ग	17.600	50	70	60	60
83	राजघाट सनेकपुर त्रिकुनिया मार्ग	19.000	50	70	60	60

गति संबंधी उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा–

(i) मोटरवाहन अधिनियम, 1998 की धारा 116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनों छोर-प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह-जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक के अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिये रेट्रो-रिफलेक्टिव टैप का प्रयोग किया जायेगा।

(ii) उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहन पर लागू नहीं होगा–

(अ) अग्नि शमन वाहन।

(ब) एम्बुलेंस।

(स) पुलिस वाहन।

(द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।

(य) प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिये प्रयुक्त वाहन।

(iii) उपरोक्त तालिका के क्रमांक 3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गों के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 या 59) की धारा 112 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक 06 अप्रैल, 2018, समय-समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत् लागू रहेगी।

राजेश प्रताप सिंह,
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद बरेली।

कार्यालय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन, प्रयागराज

18 जून, 2020 ई0

सं0 342/सा0प्र0/गति सीमा/निबंधन/प्रयागराज/2020—चूंकि केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से सन्तुष्ट होने पर प्रतिबन्धित किया जा सकता है।

और जहां उक्त अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (2)के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उ0प्र0 मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक 06 अप्रैल, 2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबन्धित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम 178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, प्रयागराज जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गों या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है—

अनुसूची

क्र0 सं0	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहां से कहां तक जहां गति निबंधित रहेगी)	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			टू-व्हीलर/थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यान	समस्त मालयान एवं स्तम्भ 4, 5 एवं 6 को छोड़कर अन्य समस्त यात्रीयान
1	2	3	4	5	6	7
1	दिघिया चौकी मार्ग	दिघिया चौकी मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
2	खाई भगनपुर मार्ग	खाई भगनपुर मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
3	करछना—रामपुर मार्ग	करछना—पचदेवरा डीहा रामपुर उपरहार मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
4	ऊंचडीह से मदरा मुकुंदपुर मार्ग	ऊंचडीह से मदरा मुकुंदपुर मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा

1	2	3	4	5	6	7
5	इन्दलपुर मार्ग	इन्दलपुर मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
6	मेजा–उरूवा ऊंचडीह	मेजा–उरूवा ऊंचडीह	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
7			40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
8	एस0एम0के0 मार्ग से लूतरखौर लक्ष्मण पुरा	एस0एम0के0 मार्ग से लूतरखौर लक्ष्मण पुरा	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
9	मेजा से पालपट्टी मार्ग	मेजा से कोहड़ारघाट खीरी मार्ग पर लालतारा सुजनी बिसौरा पालपट्टी मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
10	करछना–जारी मार्ग	करछना से जारी मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
11	दोहता हाटा लालगंज मार्ग	दोहता हाटा लालगंज मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
12	बड़ोखर रत्यौरा महुआंव मार्ग	बड़ोखर रत्यौरा महुआंव मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
13	मेजा माण्डा मार्ग	मेजा से माण्डा तक	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
14	माण्डा–लालगंज मार्ग	माण्डा से लालगंज	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
15	लालतारा–लालपट्टी	ललतारा से लालपट्टी	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
16	मेजा स्टेशन से रामनगर	मेजा स्टेशन से रामनगर	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
17	छिवकी से करमा, कौंधियारा मार्ग	छिवकी से करमा, कौंधियारा मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
18	मन्सूराबाद–आनापुर मार्ग	मन्सूराबाद–आनापुर मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
19	सोरांव से होलागढ़	सोरांव से होलागढ़	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
20	झलवा से भगवतपुर मार्ग	झलवा से भगवतपुर मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा

1	2	3	4	5	6	7
21	मखऊपुर से भगवतपुर मार्ग	मखऊपुर से भगवतपुर मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
22	कौड़िहार से हथिगहां मार्ग	कौड़िहार से हथिगहां मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
23	नवाबगंज से कौड़िहार मार्ग	नवाबगंज से कौड़िहार मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
24	जी0टी0 रोड मन्दरमोड़ से अहमदपुर पावन केशवपुर मार्ग	जी0टी0 रोड मन्दरमोड़ से इब्राहीमपुर, बम्हरौली–अहमदपुर पावन केशवपुर मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
25	जी0टी0 रोड से दुल्हापुर–लालाबाजार	जी0टी0 रोड से दुल्हापुर–लालाबाजार	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
26	घूरपुर–प्रतापपुर मार्ग	घूरपुर–प्रतापपुर मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
27	उग्रसेनपुर–प्रतापपुर मार्ग	उग्रसेनपुर–प्रतापपुर मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
28	फूलपुर हनुमानगंज मार्ग	फूलपुर हनुमानगंज मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
29	करछना–जारी मार्ग	करछना–जारी मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
30	करछना–गौहनिया मार्ग	करछना–गौहनिया मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
31	बारा–लालापुर मार्ग	बारा–लालापुर मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
32	जसरा–चिल्ला गौहानी मार्ग	जसरा–चिल्ला गौहानी मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
33	शंकरगढ बाजार मार्ग	शंकरगढ बाजार मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
34	सैदाबाद–सिरसा मार्ग	सैदाबाद–सिरसा मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
35	झूंसी–गारा–सिकन्दरा पुर मार्ग	झूंसी–गारा–सिकन्दरापुर मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
36	फूलपुर–मुबारकपुर मार्ग	फूलपुर–मुबारकपुर मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा

1	2	3	4	5	6	7
37	आगरा पट्टी–मुबारकपुर मार्ग	आगरा पट्टी से मुबारकपुर मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
38	मऊआइमा से जाजापुर बेलखरिया मार्ग	मऊआइमा से जाजापुर बेलखरिया मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
39	सोरांव–कल्यानपुर मार्ग	सोरांव–कल्यानपुर मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
40	फाफामऊ–हनुमानगंज मार्ग	फाफामऊ–हनुमानगंज मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
41	हनुमानगंज–सहसों मार्ग	हनुमानगंज–सहसों मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा

गति सम्बन्धी उपरोक्त प्रतिबन्ध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा–

(i) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनों छोर प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह-जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार सम्बन्धित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमकें इसके लिये रेट्रो–रिफ्लेक्टिव पेण्ट का प्रयोग किया जायेगा।

(ii) उक्त प्रतिबन्ध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा–

[अ] अग्नि शमन वाहन।

[ब] एम्बुलेंस।

[स] पुलिस वाहन।

[द] कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।

[य] प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिये प्रयुक्त वाहन।

उपरोक्त तालिका के कालम-3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गों के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 112 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक 06 अप्रैल, 2018 समय-समय पर यथा संशोधित द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत् लागू रहेंगी।

डा0 सियाराम वर्मा,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/जनपद-प्रयागराज।

पी0एस0यू0पी0–15 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2020 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 11 जुलाई, 2020 ई० (आषाढ़ 20, 1942 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख–नगर पंचायत, खण्ड-ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ–जिला पंचायत।

खण्ड-घ–जिला पंचायत

12 जून, 2020 ई0

सं0 स्था0नि0सहा0/इक्कीस-1(2013-14)-222–उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961, जो उ0प्र0 पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम सन् 1994 द्वारा संशोधित है, की धारा 143 के साथ पठित धारा 239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, अयोध्या द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत बनने वाले व्यवसायिक/वाणिज्यिक प्रकार के सभी भवनों, ग्रुप हाऊसिंग एवं अन्य निर्माण गतिविधियों आदि के नक्शों, तलपट योजना एवं निर्माण को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से उपविधि बनायी गयी है। मेरे द्वारा उक्त उपविधि की पुष्टि कर दी गयी है एवं उक्त अधिनियम की धारा 242 (2) के अन्तर्गत प्रकाशित की जाती है। यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी।

मानचित्र पारण उपविधि

जिला पंचायत, अयोध्या ने उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत, अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) की धारा 239(1) एवं धारा 239(2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके ग्राम्य क्षेत्र, जोकि उक्त अधिनियम की धारा 2(10) में परिभाषित है, में से इस क्षेत्र में स्थापित विकास प्राधिकरण एवं उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 2(डी) में घोषित औद्योगिक विकास क्षेत्र को हटाते हुये जनपद अयोध्या के शेष ग्राम्य क्षेत्र के अन्तर्गत बनने वाले व्यवसायिक/वाणिज्यिक प्रकार के सभी भवनों, ग्रुप हाऊसिंग एवं अन्य निर्माण गतिविधियों आदि के नक्शों, तलपट योजना (Layout plan), एवं निर्माण को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से निम्न उपविधि का प्रस्ताव दिनांक 23 मार्च, 2020 को पारित किया गया है।

उक्त प्रस्ताव द्वारा स्वीकृत उपविधियां उपर्युक्त अधिनियम की धारा 242(2) में दिये गये प्राविधानों की अपेक्षानुसार जनता को सूचनार्थ एवं उपरोक्त के क्रम में आपत्तियां एवं सुझाव आमन्त्रित करने के उद्देश्य से एदत्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। उक्त प्रस्ताव से संबंधित आपत्तियां/संशोधन इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, अयोध्या को दी जा सकती है। समस्त प्राप्त आपत्तियां/सुझावों को आगामी बैठक में विचार हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आयुक्त महोदय के माध्यम से गजट में प्रकाशित होने की तिथि से ही उपविधियां प्रभावी होंगी।

1–अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 से है।

2–ग्राम्य क्षेत्र से तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद्, छावनी तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जो कि किसी विकास प्राधिकरण या यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के द्वारा अधिग्रहीत किया गया हो एवं जिसके अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम का नाम, गाटा/खसरा संख्या, अधिग्रहीत क्षेत्रफल आदि गजट में प्रकाशित की जा चुकी हो।

3–विनियमन का मतलब भवन के मूल निर्माण एवं बने हुए भवन में अतिरिक्त निर्माण एवं फेरबदल की कार्यवाही तथा भू-खण्डों के क्रय-विक्रय को विनियमित करने से है।

4–मानचित्र से तात्पर्य भवन के ड्राइंग, डिजाईन एवं विशिष्टयों के अनुसार कागज/इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस पर बने उस नक्शे भू-खण्ड के ले-आऊट से है जो कि पंजीकृत वास्तुविद् के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया गया हो एवं डिजाइन योग्य (Eligible) अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया हो।

5–निर्माण कार्य का तात्पर्य किसी भवन में निर्माण करना, पुनः निर्माण करना या उसमें सारवान विचलन करना या उसको ध्वस्त करने से है।

6–भवन की ऊंचाई का तात्पर्य संलग्न किसी नाली के टाप से लेकर उस भवन के सबसे ऊंचे बिन्दु तक नापी गई लम्बवत् (Vertical) ऊंचाई से एवं ढलान वाली छत के लिए दो गहराईयों के बीच से है। भवन की ऊंचाई में मम्टी, मशीनरूम, पानी की टंकी, एन्टीना आदि की ऊंचाई सम्मिलित नहीं होगी।

7–छज्जा का तात्पर्य ऐसे ढलाननुमा या भूमि के क्षितिज के अनुसार बाहर निकला हुये भाग जो कि सामान्यतया सूरज या बारिश से बचाव के लिए बनाया जाता है।

8–ड्रेनेज का तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जिसका निर्माण किसी तरल पदार्थ जैसे रसोई, स्नानगृह से विसर्जित पानी आदि को हटाने के लिए किया जाता है, इसके अन्तर्गत नाली व पाइप भी सम्मिलित है।

9–निर्मित भवन का तात्पर्य ऐसे भवन से है, जोकि परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में इन उपविधियों के लागू होने से पहले अस्तित्व में आ चुका है अथवा जिला पंचायत की स्वीकृति के बिना निर्मित किया गया हो।

10–तल (Floor Level) का तात्पर्य किसी मंजिल के उस निचले खंड से है, जहां पर सामान्यतः किसी भवन में चला, फिरा जाता।

11–फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) का तात्पर्य उस भागफल से है, जो सभी तलों के आच्छादित कुल क्षेत्रफल को भू-खण्ड के क्षेत्रफल से भाग देने से प्राप्त होता है।

12–भू-आच्छादन (Ground Coverage) का तात्पर्य भू-तल पर बने सभी निर्माण द्वारा घेरे गये क्षेत्रफल से है।

13–ग्रुप हाउसिंग का तात्पर्य उस परिसर से है, जिसके अन्दर आवासी फ्लैट अथवा स्वतंत्र आवासीय (Independent Apartment Unit) इकाई बनी हों तथा मूल सुविधाओं जैसे पार्किंग, पार्क, बाजार जनसुविधायें आदि का प्रावधान हो।

14–ले-आउट प्लान का तात्पर्य उस नक्शे से है, जो कि किसी स्थल के समस्त भू-खण्ड, भवन खण्ड, मार्ग, खुली जगह, आने-जाने के बिन्दु, पार्किंग व्यवस्था, भू-निर्माण (Landscaping) अथवा विभिन्न आकार की प्लाटिंग की समस्त जानकारी व अन्य विवरण को इंगित करने वाले प्लान से है।

15–प्राविधिक (Technical) व्यक्ति का तात्पर्य निम्नलिखित से है–

(अ) अभियन्ता–अभियन्ता, जिला पंचायत अयोध्या से है।

(ब) अवर अभियन्ता–इस उपविधि में अवर अभियन्ता का तात्पर्य उस अवर अभियन्ता से है जिसको अभियन्ता, जिला पंचायत, अयोध्या द्वारा भवन के नक्शों की स्वीकृति की कार्यवाही के लिए निर्देशित (Designated) किया गया हो।

16–(अ) कार्य अधिकारी का तात्पर्य कार्य अधिकारी, जिला पंचायत, अयोध्या से है।

(ब) कर अधिकारी का तात्पर्य कर अधिकारी, जिला पंचायत, अयोध्या से है।

17–अधिभोग (Occupancy) का तात्पर्य उस प्रयोजन से है, जिसके लिए भवन या उसका भाग प्रयोग में लाया जाना है, जिसके अन्तर्गत सहायक अधिभोग भी सम्मिलित है।

18–स्वामी का तात्पर्य व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, कम्पनी, ट्रस्ट, पंजीकृत संस्था राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभाग एवं अन्य प्राधिकरण जिसके/जिनके नाम में भूमि का स्वामित्व सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज है।

19–रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तात्पर्य बरसात के पानी को उपयोग करके विभिन्न तकनीकों से भू-गर्भ जल के स्तर को ऊंचा उठाने से है।

20–सेटबैक का तात्पर्य किसी भवन के चारों तरफ यथा स्थिति या मानक के अनुसार एवं बाउन्ड्री दीवार के बीच छोड़ी गई खाली जगह अथवा रास्ते से है।

21–अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, अयोध्या से है।

22–जिला पंचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा 17 (1) में संघटित जिला पंचायत, अयोध्या से है।

23–अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पंचायत, अयोध्या से है।

24–बहु मंजिली भवन (Multy Storey) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का भवन बहु मंजिल कहलायेगा।

25–मंजिल का तात्पर्य भवन के उस भाग से है, जो किसी तल की सतह और इसके ऊपर के अनुवर्ती तल के बीच हो और यदि इसके ऊपर कोई तल न हो, तो वह स्थान जो तल और इसके ऊपर की छत के मध्य हो।

26–भवन का तात्पर्य ऐसी स्थायी प्रकृति के निर्माण अथवा संरचना से है, जोकि किसी भी प्रकार की सामग्री से निर्माण किया जाये एवं उसका प्रत्येक भाग चाहे मानव प्रयोग या अन्यथा किसी प्रयोग में लाया जा रहा हो एवं उसके अन्तर्गत बुनियाद, कुर्सी क्षेत्र, दीवार, फर्श, छत, चिमनी, पानी की व्यवस्था, स्थायी प्लेटफार्म, बरान्डा, बालकनी, कार्नस या छज्जा या भवन का अन्य भाग जो किसी खुले भू-भाग को ढकने के उद्देश्य से बनाया जायेगा। इसके अन्तर्गत टेन्ट, शामियाना, तिरपाल आदि जो कि पूर्णतः अस्थायी रूप से किसी समारोह के लिए लगाये जाते हैं, वह भवन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होंगे।

27–आवासीय भवन के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे जिनमें सामान्यतः व्यक्तिगत आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो।

28–व्यवसायिक/वाणिज्यिक भवन के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों, भण्डारण बाजार व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्यकलाप होटल, पेट्रोल पम्प, कन्वीनिएन्स स्टोर्स एवं सुविधायें आदि जो माल व्यवसायिक माल की बिक्री से अनुषांगिक हों और उसी भवन में स्थित हों, सम्मिलित होंगे अथवा ऐसे भवन/स्थल जिनका प्रयोग धनोपार्जन हेतु किया जाना हो।

29–संकटमय भवन के अन्तर्गत भवन या भवन के वह भाग सम्मिलित होंगे जिनमें अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री या उत्पाद का संग्रहण, वितरण, उत्पादन या प्रक्रम (proccesing) का कार्य होता हो या जो अत्यधिक ज्वलनशील हो या जो ज्वलनशील भाप या विस्फोटक पैदा करता हो या जो अत्यधिक कारोसिव, जहरीली या खतरनाक क्षार, तेजाब हो या अन्य द्रव्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जिनमें ज्वाला भाप पैदा होती हो, विस्फोटक जहरीले इरीटेन्ट या कारोसिव गैस पैदा होती हो या जिनमें धूल के विस्फोटक मिश्रण और जिनमें तत्काल ज्वलन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती हो, के संग्रहण वितरण या प्रक्रम (proccesing) के लिए प्रयुक्त किया जाता हो।

30–भवन गतिविधि/भवन निर्माण का तात्पर्य किसी भवन के बनाने या पुनः बनाने या उसमें सारवान विचलन या ध्वस्त करने की कार्यवाही मानी जायेगी।

31—पार्किंग स्थल का तात्पर्य ऐसे चारदीवारी में बंद या खुले स्थान से है, जहां पर वाहन इकट्ठे रूप में खड़े हो सकते हैं, परन्तु इसके लिए आवश्यक है, कि उक्त स्थान पर आने-जाने के लिए एक सुगम एवं स्वतंत्र जोड़ने वाला मार्ग बना हो।

इन उपविधियों में जिन शब्दों को प्रयोग किया गया है, परन्तु वे उक्त परिभाषाओं में सम्मिलित नहीं हैं, का तात्पर्य वही होगा, जोकि ऐसे शब्दों का राष्ट्रीय भवन संहिता (National building Code) एवं भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian standerds) यथा संशोधित में माना जाता है। किसी विरोधाभाष की स्थिति में अधिनियम के प्राविधान प्रभावी माने जायेंगे।

उपविधि

ये उपविधियां जिला पंचायत, अयोध्या के उक्त परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में जो कि इन उपविधियों के लिये परिभाषित किया गया है, में किसी भी व्यक्ति, ठेकेदार कम्पनी, फर्म या संस्था, सहकारी समिति, सोसाईटी, राजकीय विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने वाले आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण संस्थान, फार्म हाउस, ग्रुप हाऊसिंग, दुकानों, मार्केट, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन इत्यादि का ले-आउट प्लान एवं/या भवन प्लान एवं निर्मित भवनों में परिवर्तन, परिवर्द्धन, विस्तार को नियन्त्रित एवं विनियमित करने की उपविधियां कहलायेंगी।

(क) नक्शा स्वीकृत न कराने की परिस्थितियां

ऐसे प्रकरण/निर्माण कार्य जिनमें उपविधियों के अन्तर्गत नक्शा स्वीकार कराना आवश्यक नहीं होगा—

1—उक्त परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र में निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी—

(अ) ये उपविधियां कच्चे मकानों एवं गांव के मूल निवासी के शुद्धतया निजी आवास/कृषि कार्य हेतु बनाये जाने वाले 300 वर्ग मी0 क्षेत्रफल एवं दो मंजिल तक ऊंचे आवासीय भवनों पर लागू नहीं होगी, परन्तु सुरक्षित डिजाईन व निर्माण की जिम्मेदारी मालिक की होगी एवं उक्त निर्माण/कार्यवाही करने से पूर्व जिला पंचायत को एक लिखित सूचना देना स्वेच्छिक होगा।

(ब) सफेदी व रंग-रोगन के लिए।

(स) प्लास्टर व फर्श मरम्मत के लिए।

(य) पूर्व स्थान पर छत पुनर्निमाण के लिए ।

(र) प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त भवन के हिस्से का पुनर्निमाण।

(व) मिट्टी खोदना या मिट्टी से गड्ढा भरना।

(ख) प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख व नक्शे

उक्त ग्राम्य क्षेत्र में कोई भी नया निर्माण, पुराने भवन में परिवर्तन या परिवर्द्धन, विस्तार या भू-खण्ड के ले-आउट की स्वीकृति का आशय रखने वाला स्वामी इन उपविधियों के अनुसार, ऐसा करने से कम से कम दो माह पहले अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को एक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख तथा सूचनायें प्रस्तुत करेगा एवं पावती रसीद प्राप्त करेगा।

1—स्थल का नक्शा निम्नवत् दिया जायेगा —

(अ) ले-आउट प्लान का पैमाना 1:500 होगा।

(ब) की-प्लान का पैमाना 1:1000 होगा।

(स) बिल्डिंग प्लान का पैमाना 1:100 होगा।

(द) स्थल के चारों तरफ की सीमायें उनके नाम, तथा समीपवर्ती भूमि का संक्षिप्त विवरण तथा भूमि मालिक का नाम एवं पूर्ण पता।

(य) समीपवर्ती मार्ग अथवा मार्गों का विवरण तथा निर्माणाधीन भवन से मार्ग की दूरी।

(र) स्थल के नक्शे के साथ भूमि के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र जैसे विक्रय आलेख, दाखिल खारिज, खतौनी आलेख।

2–प्रस्तावित भवन/परियोजना का नक्शा उपरोक्त वर्णित पैमाने के अनुसार होगा–

(अ) प्रत्येक मंजिल के ढके हुए भाग का नक्शा विवरण सहित।

(ब) नक्शे पर पंजीकृत वास्तुविद् का पंजीकरण नम्बर, नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

(स) नक्शे पर भू-स्वामी अथवा स्वामियों के नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

(द) भू:स्वामी अथवा स्वामियों द्वारा नक्शा स्वीकृति के लिये प्रार्थना-पत्र।

(र) भवन/परियोजना के बनाने व उपयोग का उद्देश्य जैसे आवासीय, व्यवसायिक, शिक्षण, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन।

(ल) स्थल का की-प्लान, ले-आउट प्लान, फ्लोर-प्लान, एलिवेशन, भवन की ऊंचाई, सेक्सन, स्ट्रक्चर विवरण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली, बेसमेंट, लैंडस्केप प्लान, वातानुकूलित प्लांट, सीवेज-जल निस्तारण व्यवस्था अग्नि निकासी की स्थिति व अन्य विवरण।

(व) नक्शे पर परियोजना का नाम, शीर्षक, भू-खण्ड का खसरा, ग्राम, तहसील सहित पूरा पता।

(श) नक्शे पर भू-खण्ड का क्षेत्रफल, ग्राउंड कवरेज, हर तल का क्षेत्रफल, बेसमेंट का क्षेत्रफल आदि का विवरण।

3–बहुमंजिली भवन (Multy Storey) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचाई के भवन में नक्शे पर निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना भी देनी होगी–

(अ) अग्निशमन प्रणाली की व्यवस्था आपात सीढ़ी व निकासी, अग्निसुरक्षा लिफ्ट अग्निअलार्म आदि का विवरण व ठिकाने (Location)।

(ब) निर्माण कार्य एवं निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियाँ आदि।

(ग) नक्शा स्वीकृति प्रदान न करने की परिस्थितियां

निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की किसी भू-खण्ड पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी यदि–

(अ) प्रस्तावति भवन–उपयोग अनुमन्य भू-उपयोग से भिन्न है।

(ब) प्रस्तावित निर्माण धार्मिक प्रकृति का है और उससे किसी समाज की धार्मिक भावनायें आहत होती हैं।

(स) प्रस्तावित निर्माण का उपयोग लोगों की भावनायें भड़कानें का स्रोत (Source of Annoyance) अथवा आस-पास रहने वालों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता हो।

(घ) तकनीकी अनुदेश (Technical Instructions)

(क) एक आवास गृह में 4.50 व्यक्ति प्रति गृह माना (Consider) गया है।

(ख) भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) अधिकतम 2.40 मीटर उंचाई तक अनुमन्य होगी।

(ग) लिंटल (Lintel) अथवा छत स्तर पर छज्जा अधिकतम क्रमशः 0.45 मीटर एवं 0.75 मीटर चौड़ा होगा।

(घ) बेसमेंट का निर्माण भवन की सीमा से बाहर नहीं किया जायेगा। बेसमेंट की फर्श से सीलिंग तक की अधिकतम उंचाई 4.5 मीटर तथा बाहर की नाली से बेसमेंट की अधिकतम उंचाई 1.5 मीटर होगी। स्ट्रक्चर स्थिरता के आधार पर बेसमेंट सन्निकट (Adjacent) प्लाट से 2.0 मीटर दूरी तक निर्मित किया जा सकता है।

(ङ) बहु मंजिली भवन में कम से कम एक सामान (Goods)/मालवाहक लिफ्ट का प्रावधान करना होगा।

(च) राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 के प्रावधान के अनुसार ग्रुप हाउसिंग के दो ब्लॉक में न्यूनतम 6.0 मीटर से 16.0 मीटर की दूरी होगी। भवन की 18.0 मीटर उंचाई तक 6.0 मीटर इसके पश्चात् प्रत्येक 3.0 मी0 अतिरिक्त उंचाई के लिए ब्लाक की दूरी 1.0 मीटर बढ़ाई जायेगी। भू-खण्ड के डेड एन्ड (Dead End) पर ब्लॉक की अधिकतम दूरी 9.0 मीटर होगी।

(छ) बहु मंजिली भवन में चार तलों के बाद एक सेवा तल अनुमन्य होगा किसी भवन में अधिकतम 3 सेवा तल का प्राविधान किया जा सकता है, सेवा तल की अधिकतम उंचाई 2.4 मीटर होगी।

2–निम्नलिखित निर्माण/सुविधाओं के लिए भू-खण्ड का 10 प्रतिशत क्षेत्रफल, भू-आच्छादन (Ground Coverage) में अतिरिक्त जोड़ा जा सकता है।

(क) जनरेटर कक्ष, सुरक्षा मचान, केबिन, गार्ड रूम, टॉयलेट ब्लॉक, ड्राईवर रूम, विद्युत् उपकेन्द्र आदि।

(ख) मम्टी, मशीन रूम, पम्प हाउस, जल-मल प्लांट।

(ग) ढके हुए पैदल पथ आदि।

3–(क) आवासीय भवन में कमरे का आकार 2.4 मीटर एवं 9.5 वर्गमीटर से कम न होना चहिए।

(ख) छत की सीलिंग की ऊंचाई 2.75 मीटर से कम न होनी चाहिए।

(ग) ए0सी0 कमरे की ऊंचाई 2.40 मीटर से कम न होनी चाहिए।

(घ) रसोई घर की ऊंचाई 2.75 मीटर, आकार 1.80 मीटर एव 5.00 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए ।

(ङ) संयुक्त संडास (Toilet) का आकार 1.20 मीटर एवं 2.20 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

(च) खिड़की व रोशनदान का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत से कम न होना चाहिए।

(छ) तीन मंजिल तक के भवन में सीढ़ी की चौड़ाई 1.00 मीटर एवं इससे अधिक ऊंचे भवन में 1.50 मीटर से कम न होनी चाहिए।

4–(क) पार्क, टोट-लोट्स (Tot-Lots) लैंड स्केप (Landscape) आदि का क्षेत्रफल भू-खण्ड के क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत होगा।

(ख) 30 मीटर तक के मार्ग पर स्थित समस्त प्रकार के भवनों की अधिकतम ऊंचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई तथा अनुमन्य फ्रन्ट सेट-बैक के योग का डेढ़ गुना होगी।

(ग) भू-कम्प रोधी व सुरक्षित डिजाईन की जिम्मेदारी वास्तुविद् एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत डिजाईनर की होगी।

5–स्वीकृत किये गये भवन में जल आपूर्ति एवं मल मूत्र एवं बेकार पानी के निस्तारण (Disposal) की व्यवस्था स्वामी द्वारा स्वयं की जायेगी जिला पंचायत का इसके लिये कोई उत्तरदायित्व व्यय अधिभार नहीं होगा।

6–बेसमेंट में इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की स्थापना, ज्वलनशील, विस्फोटक सामग्री आदि का भण्डारण नहीं किया जा सकेगा।

(ङ) रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

भवन एवं पक्की सड़कों के द्वारा भूखंड के प्रत्येक 300 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। प्रत्येक 1000 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।

(च) भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)

विभिन्न भवनों हेतु भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) के मानक निम्नवत् होंगे–

क्र0सं0	भवन एवं भू-उपयोग	भू-आच्छादन प्रतिशत	फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)	भवन की अधिकतम ऊंचाई सूची-I के अनुसार जनपदों में (मीटर)	भवन की अधिकतम ऊंचाई अन्य जनपदों में (मीटर)
1	2	3	4	5	6
1	(i) आवासीय भवन भू-खण्ड 500 वर्ग मीटर तक	80	3.00	15	15
	(ii) आवासीय भवन भू-खण्ड 500-2000 वर्ग मीटर तक	65	4.00	15	15
2	ग्रुप हाउसिंग योजना, रैन बसेरा (Night Shelter)	50	3.00	30	21
3	औद्योगिक भवन	60	1.00	18	12
4	व्यावसायिक भवन–				
	(i) सुविधा (Convenient) शापिंग केन्द्र, शॉपिंग मॉल्स, व्यावसायिक केन्द्र होटल	40	2.50	30	21
	(ii) बैंक, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	40	1.50	24	18
	(iii) वेयर हाउस, गोदाम	60	1.50	18	15
	(iv) दुकानें व मार्केट	60	1.50	15	10
5	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन–				
	(i) सभी उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिग्री कालेज आदि	50	1.50	24	15
	(ii) हायर सेकेंडरी, प्राईमरी, नर्सरी स्कूल, क्रेच सेंटर आदि	50	1.50	24	15
	(iii) हास्पिटल, डिस्पेंसरी, चिकित्सालय, लैब, नर्सिंग होम आदि	75	2.50	24	15
6	धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन–	50	1.20	15	10
	(i) सामुदायिक केन्द्र क्लब, बारात घर, जिमखाना, अग्निशमन केन्द्र, डाकघर, पुलिस स्टेशन	30	1.50	15	10
	(ii) धर्मशाला, लॉज, अतिथिगृह, हॉस्टल	40	2.50	15	10
	(iii) धर्मकांटा, पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम, शीत गृह	40	0.50	10	6

1	2	3	4	5	6
7	कार्यालय भवन–				
	सरकारी, अर्द्धसरकारी, कॉर्पोरेट एवं अन्य कार्यालय भवन	40	2.00	30	15
8	क्रीड़ा एवं मनोरंजन कॉम्पलेक्स, शूटिंग रैंज, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र	20	0.40	15	10
9	नर्सरी	10	0.50	6	6
10	बस स्टेशन, बस डिपो, कार्यशाला	30	2.00	15	12
11	फार्म हाउस	10	0.15	10	6
12	डेरी फार्म	10	0.15	10	6
13	मुर्गा, सूअर, बकरी फार्म	20	0.30	6	6
14	ए0टी0एम0	100	1.00	6	6

(छ) सेट बैक (Set back)

क्र0सं0	भू-खण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	सामने (Front) मीटर	साईड (Side) मीटर	पीछे (Rear) मीटर	लैंड स्केपिंग (Landscaping)	खुला स्थान % तक
1	2	3	4	5	6	7
1	150 तक	3.0	0.0	1.5	एक वृक्ष प्रति 100 वर्ग मीटर	25
2	151–300	3.0	0.0	3.0	तदेव	25
3	301–500	4.5	3.0	3.0	तदेव	25
4	501–2000	6.0	3.0	3.0	तदेव	25
5	2001–6000	7.5	4.5	6.0	तदेव	25
6	6001–12000	9.0	6.0	6.0	तदेव	25
7	12001–20000	12.0	7.5	7.5	तदेव	50
8	20001–40000	15.0	9.0	9.0	तदेव	50
9	40001 से अधिक	16.0	12.0	12.0	तदेव	50

(ज) पार्किंग स्थान

क्र0सं0	भवन/भू-खण्ड	पार्किंग स्थान
1	2	3
1	ग्रुप हाउसिंग योजना	एक ECU प्रति 80 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
2	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
3	औद्योगिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
4	व्यवसायिक भवन	एक ECU प्रति 30 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
5	सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र	एक ECU प्रति 50 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
6	लॉज, अतिथिगृह, हॉस्टल	एक ECU प्रति 2 अतिथि रूम के लिए
7	हॉस्पिटल, नर्सिंग होम	एक ECU प्रति 65 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
8	सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	एक ECU प्रति 15 सीट्स
9	आवासीय भवन	एक ECU प्रति 150 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का

(झ) अग्नि शमन पद्धति, अग्नि सुरक्षा एवं सर्विसेज

1–तीन मंजिल अथवा 12 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा–संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन, व्यवसायिक भवन, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स 400 वर्ग मीटर से अधिक भू-आच्छादन के भवन में अग्नि निकास हेतु एक जीना बाहर की दीवार पर एवं अग्नि सुरक्षा के अन्य सभी प्रावधान करने होंगे। भवन के चारों तरफ बाउन्ड्री दीवार के साथ-साथ 6 मीटर चौड़ा मार्ग का प्रावधान करना होगा, जिसमें दमकलों के चालन हेतु कम से कम 4 मीटर चौड़ाई का परिवहन मार्ग (Carriage Way) होगा।

2–अग्नि निकास जीने की न्यूनतम चौड़ाई 1.20 मीटर, ट्रेड की न्यूनतम चौड़ाई 28 से0मी0, राईजर अधिकतम 9 से0मी0, एक फ्लाईट में अधिकतम राईजरों की संख्या 16 तक सीमित होगी।

3–अग्नि निकास जीने तक पहुँच दूरी 15 मीटर से अधिक न होनी चाहिए।

4–घुमावदार अग्नि निकास जीने का प्रावधान 10 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों में नहीं किया जायेगा।

5–उपरोक्त भवनों हेतु अग्निशमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।

6–उपरोक्त भवनों में उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम (6) 2005 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 भाग 4 के अनुसार प्रावधान किया जायेगा जैसे स्वचालित स्प्रिंक्लर पद्धति, फर्स्ट एंड होज रील्स, स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति, सार्वजनिक संबोधन व्यवस्था, निकास मार्ग के संकेत चिन्ह, संकेत चिन्ह, फायर मैन, स्विच युक्त फायर लिफ्ट, वेट राइजर, डाउन कॉर्नर सिस्टम आदि।

(ञ) इलेक्ट्रिक लाईन से दूरी

क्रमांक	विवरण	उर्ध्वाकार दूरी मीटर	क्षैतिज दूरी मीटर
1	2	3	4
1	लो एण्ड मीडियम वोल्टेज लाईन तथा सर्विस लाईन	2.4	1.2
2	हाई वोल्टेज लाईन 33000 वोल्टेज तक	3.7	1.8
3	एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाईन	3.7 + (0.305m) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर	1.8 + (0.305m) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर

(ट) मोबाइल टावर्स की स्थापना

(क) मोबाइल टावर की स्थापना हेतु भवन स्वामी एवं आवासीय कल्याण समिति (RWA) की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी।

(ख) जनरेटर केवल साईलेंट प्रकृति के होंगे तथा भू-तल पर ही लगाये जायेंगे।

(ग) यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाता है तो टावर का निचला भाग भवन की छत से न्यूनतम 3 मी0 ऊपर होना चाहिये।

(घ) जहां अपेक्षित हो, वहां टावर के निर्माण से पूर्व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया/वायुसेना का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(ङ) सेवा आपरेटर कंपनी और भवन स्वामी के संयुक्त हस्ताक्षर से इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि टॉवर निर्माण के फलस्वरूप आस-पास के भवन एवं जान माल को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व संबंधित कंपनी और भवन स्वामी का होगा।

(च) इलेक्ट्रोमैग्नेट वेल्स, रेडियो विकिरण, वायब्रेसन (कम्पन) आदि के रूप में होने वाले दुष्परिणामों के नियंत्रण हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(छ) अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिये सूची-1 के अनुसार जनपदों में प्रथम बार शुल्क के रूप में एक लाख रुपये व अन्य जनपदों में पचास हजार रुपये जिला पंचायत में जमा करना होगा। यह शुल्क एक वर्ष की अवधि के लिये होगा तथा अप्रत्यापर्णीय (Non-Refundable) होगा। अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिये प्रथम बार की शुल्क का 10 प्रतिशत प्रति वर्ष जमा करना होगा।

(ज) शैक्षणिक संस्था, हॉस्पिटल, अधिक घनत्व वाली आवासीय बस्ती, अथवा धार्मिक भवन/स्थल आदि पर या इनके 100 मीटर के दायरे में मोबाइल टावर की स्थापना नहीं की जायेगी।

(ठ) नक्शे स्वीकृति की दरें

(क) व्यवसायिक आवासीय भवन व शैक्षणिक भवन–

अयोध्या जनपद में रु0 25.00 प्रति वर्ग मी0 होगी।

(ख) व्यावसायिक एवं व्यापारिक भवन–

अयोध्या जनपद में रु0 25.00 प्रति वर्ग मी0 होगी।

(ग) (1) भूमि की प्लाटिंग–भूमि को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न आकार के प्लाटों में बांटना–

(2) भूमि विकास–भूमि पर योजनाबद्ध तरीके से पार्क, उद्यान बनाना, फार्म हाऊस विकसित करना, नर्सरी लगाना, बारातघर/बैंक्वेट हाल आदि।

(3) भूमि का उपभोग–भूमि का विभिन्न प्रकार के सामानों के भण्डारण हेतु प्रयोग करना जैसे-निर्माण सामग्री, कन्टेनर, ईंधन आर0सी0सी0 पाईप आदि।

(4) किसी परियोजना का ले-आउट प्लान (तलपट मानचित्र)

अयोध्या जनपद में यह दर रु0 10.00 प्रति वर्ग मी0 होगी।

(घ) पुराने भवन को ध्वस्त करने के पश्चात् पुनः निर्माण करने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों के समान होंगी।

(ङ) स्वीकृत भवन के नक्शे में संशोधन होने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों की एक चौथाई होंगी।

(च) बेसमेंट, स्टिल्ट, पोडियम सेवा क्षेत्र व अन्य आच्छादित क्षेत्र की अनुज्ञा शुल्क में गणना की जायेगी।

(छ) यदि स्वीकृति के नवीनीकरण का आवेदन, अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति के नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 10 प्रतिशत होंगी। एक बार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात् नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 50 प्रतिशत होंगी।

(ज) उपविधियों के अनुसार, जिला पंचायत के नक्शों की स्वीकृति के बिना निर्माण करने, किसी भूमि पर व्यवसाय करने, स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने अथवा जिला पंचायत भवन उपविधि की किसी धारा/उपधारा का उल्लंघन करने पर अर्थ-दण्ड के रूप में समझौता शुल्क (Compounding Fees) रोपित किया जायेगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) प्रस्तावित भवन अथवा ले-आउट प्लान (तल पट मानचित्र) पर परिस्थिति अनुसार, कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20 प्रतिशत से अधिकतम 50 प्रतिशत अतिरिक्त होगा। समझौता शुल्क (Compounding-Fees) विभाग में जमा होने के उपरान्त पूर्व में निर्मित भवन के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। समझौते की कार्यवाही अधिनियम की धारा 248 में दी गई व्यवस्था से नियन्त्रित होगी।

(झ) अयोध्या जनपद में पूर्णतः प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) जारी करने की दरें रु0 10.00 प्रति वर्ग मी0 होंगी। ये दरें सभी तलों के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर लागू होंगी।

(ञ) अयोध्या जनपद में बाउन्ड्री वाल स्वीकृति की दरें रु0 5.00 प्रति मी0 होंगी।

नोट–(शुल्क निर्धारण हेतु, भवन के सभी तलों पर फर्श के कुल क्षेत्रफल की गणना करनी होगी।)

(ङ) अनुज्ञा-पत्र जारी करने की प्रक्रिया

1–स्वामी द्वारा आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित भवन/परियोजना के नक्शे एवं स्वामित्व के भू-अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत के कार्यालय में जमा किये जायेंगे एवं आवेदक को इस प्रस्तुतीकरण की दिनांकित पावती दी जायेगी।

2–ऐसे आवेदन-पत्र एवं उसके साथ संलग्नकों को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल कार्य अधिकारी/कर अधिकारी को भू-अभिलेखों के परीक्षण हेतु पृष्ठांकित कर देगा।

3–कार्य अधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन पर उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करके अधिकतम एक सप्ताह में सम्बन्धित अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को प्रस्तुत कर देगा। कार्य अधिकारी की तैनाती न होने की दशा में कर अधिकारी, जिला पंचायत, अयोध्या द्वारा समस्त कार्यवाही की जायेगी।

4–कार्य अधिकारी से प्राप्त आख्या को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल अभियन्ता, जिला पंचायत को पृष्ठांकित कर देगा।

5–अभियन्ता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थलीय सर्वेक्षण हेतु निदेशित (Designated) अवर अभियन्ता को स्थल के सर्वेक्षण हेतु आदेशित किया जायेगा।

6–अवर अभियन्ता द्वारा स्थल सर्वेक्षण की आख्या अधिकतम एक सप्ताह में अभियन्ता, जिला पंचायत को प्रस्तुत की जायेगी।

7–अवर अभियन्ता से सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त बहुमंजिली भवन, व्यवसायिक भवन, संकटमय भवन एवं औद्योगिक भवन अथवा अन्य महत्वपूर्ण परियोजना का नक्शा पारित करने से पहले अभियन्ता, जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थल का सर्वेक्षण करना अनिवार्य होगा।

8–अभियन्ता द्वारा स्थल की सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत करने के उपरान्त सर्वेक्षण आख्या का परीक्षण किया जायेगा। परियोजना के नक्शों की स्वीकृति हेतु अवर अभियन्ता से एक अंतरिम शुल्क की गणना करके अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा आंगणित अन्तरिम शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप से नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय, जिला पंचायत में जमा करनी होगी। इसके उपरान्त ही नक्शे के विषय में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि नक्शा पारित होने के स्तर पर आवेदक मांग-पत्र के अनुसार निर्धारित अवधि में यदि शुल्क जमा करता है तो उक्त धनराशि समायोजित (Adjust) हो जायेगी अन्यथा की दशा में जमा धनराशि जब्त हो जायेगी।

9–जिला पंचायत के अभियन्ता द्वारा परियोजना की संभाव्यता, (Possibility) सुगमता, (Convenience) साध्यता, (Feasibility) तकनीकी जांच व जिला पंचायत भवन उपविधि में तकनीकी प्रावधानों एवं नक्शों का परीक्षण किया जायेगा। आवश्यकता समझने पर नक्शों में संशोधन हेतु आवेदन कर्ता को निर्देशित किया जायेगा।

10–अभियन्ता द्वारा परियोजना तकनीकी दृष्टि से सुस्थित (Sound) पाये जाने पर अपनी तकनीकी आख्या अपर मुख्य अधिकारी को अधिकतम 15 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। अवर अभियन्ता से आंगणित शुल्क की धनराशि का विवरण प्रतिपरीक्षण (Cross Verification) कराके तकनीकी आख्या के साथ संलग्न करना होगा।

11–अपर मुख्य अधिकारी उक्त आख्या प्राप्त होने पर कार्य अधिकारी/कर अधिकारी एवं अभियन्ता द्वारा प्राप्त आख्याओं का परीक्षण करके आवेदक को शुल्क जमा करने का मांग-पत्र जारी करेंगे। जिसमें आवेदक को शुल्क जमा करने के लिए एक माह का समय दिया जायेगा।

12–आवेदक द्वारा नक्शा शुल्क निर्धारित समय में जमा कराना होगा। जिला निधि की रोकड़ बही में शुल्क की प्रविष्टि के उपरान्त नक्शे की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

13–उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक को अनुज्ञा-पत्र अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता के संयुक्त हस्ताक्षर से आवश्यक शर्तों के साथ जारी किया जायेगा। नक्शों पर अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

14–यदि जिला पंचायत द्वारा आवेदन प्राप्ति के दो माह के भीतर आवेदक को कोई सूचना अथवा शुल्क का मांग-पत्र जारी नहीं किया जाता है, तो आवेदक द्वारा निर्धारित दो माह की अवधि के समाप्ति के दिनांक से 20 दिन के भीतर प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के संज्ञान में लिखित रूप से लाया जायेगा। यदि इस पर भी अपर मुख्य अधिकारी 10 दिन में कोई कार्यवाही नहीं करता है तो पूर्व में प्रस्तुत नक्शा एवं निर्माण की स्वीकृति मानित स्वीकृति (Deemed Sanction) मानी जायेगी।

विवाद–उक्त कार्यवाही में किसी विवाद होने की दशा में या स्वीकृत नक्शा किन्हीं कारणों से निरस्त होने की दशा में या ऐसी कार्यवाही उत्पन्न होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रकरण अध्यक्ष, जिला पंचायत को सन्दर्भित किया जायेगा, जिसमें उनको अपना अनुदेश ऐसे प्रकरण की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर देना होगा एवं उनका ये आदेश अभयपक्षों पर बन्धनकारी होगा।

(ढ़) सामान्य अनुदेश

1–भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक, ईमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी। 200 मीटर से 1.50 किलो मीटर के दायरे में उपविधियोंनुसार निर्माण हेतु मंजिलों एवं ऊंचाई की अनुमति तत्समय आवश्यक और उचित कारण सहित दी जायेगी।

2–प्रस्तावित भू-खण्ड की सीमा से बाहर किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी।

3–भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग, (Stilt Parking) वाहन पार्किंग, बेसमेन्ट वाहन पार्किंग, भण्डारण व सुविधाओं के रख-रखाव व सेवा तल (Service Floor) भण्डारण व सुविधाओं के रख-रखाव इत्यादि हेतु उपयोग किया जाये तो इनका क्षेत्रफल एफ0ए0आर0 में शामिल नहीं होगा।

4–निकटमत हवाई अड्डा चाहे विमानापत्तन प्राधिकरण (Airport Authority) द्वारा नियन्त्रित हो या रक्षा विभाग अथवा अन्य शासकीय विभाग द्वारा नियन्त्रित हो के 05 किलोमीटर की परिधि में 30 मीटर से ऊंचे भवन के आवेदनकर्ता को उक्त वर्णित प्रतिष्ठानों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा।

5–उपरोक्त उपविधि में सभी बातों के होते हुए भी जिला पंचायत यदि उचित व आवश्यक समझे तो कारणों का उल्लेख करते हुए किसी भवन में भू-आच्छादन, फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) अथवा अधिकतम ऊंचाई में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान कर सकती है।

6–उपविधियों में दी गयी सूची में उल्लिखित, भवनों के अतिरिक्त भवनों एवं गतिविधियों के नियमों व विनियमों का निर्धारण, जिला पंचायत द्वारा इस प्रकार के समकक्ष (Similar) भवनों एवं गतिविधियों के लिए निर्धारित उपविधियों के अनुसार किया जायेगा।

7–मल्टी लेवल पार्किंग में संरचनात्मक एवं सुरक्षा की शर्तों के अधीन अधिकतम दो बेसमेन्ट अनुमन्य होंगे।

8–इन उपविधियों के अधीन जारी अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध एवं मान्य होगी।

9–इन उपविधियों का पालन न करने की दशा में सम्बन्धित उल्लंघन के विरुद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा 133 के अर्न्तगत जिला पंचायत द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(थ) अनुज्ञा की शर्तें

1–अनुज्ञा-पत्र जारी होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आये कि नक्शे स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा गलत विवरण दिया गया है, तो जिला पंचायत द्वारा दी गई नक्शे की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है, किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील (Seal) किया जा सकता है।

(क) अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को अधिकार होगा कि वह, अभियन्ता, जिला पंचायत की संस्तुति पर वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत नक्शे में संशोधन अथवा परिवर्तन कर दे अथवा स्वीकार कर दें।

(ख) पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित नक्शे ही मान्य होंगे। परियोजना का डिजाईन वास्तुविद के अधीन कार्य करने वाले योग्य अभियन्ता द्वारा कराया जायेगा।

(ग) कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनसे लाइसेंस या अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, उनसे लाईसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, अयोध्या यह निर्देश देती है कि जो भी स्वामी इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो अंकन रु0 2,000.00 (दो हजार रु0 मात्र) तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है रु0 50.00 (पचास रु0 मात्र) प्रतिदिन हो सकेगा, अथवा अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जो कि तीन माह तक हो सकेगा।

एम0 पी0 अग्रवाल,
आयुक्त,
अयोध्या मण्डल, अयोध्या।

पी0एस0यू0पी0–15 हिन्दी गजट–भाग-3–2020 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 11 जुलाई, 2020 ई० (आषाढ़ 20, 1942 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, रायबरेली

02 जुलाई, 2020 ई0

सं0 06/न0पा0परि0राय0/2020-21–उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की सुसंगत धाराओं तथा धारा 298 सूची 01 की उप सूची ''क से ञ'' तक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पर्यावरण संरक्षण, लोक स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक सुविधा, जनहित तथा ''स्वच्छ भारत मिशन योजना'' के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु नगर को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने के लिये नगरपालिका परिषद्, रायबरेली की सीमान्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2016 को अंगीकृत करते हुये ''केयरिंग चार्ज उपविधि 2019'' बनाई गई है, जिसे दैनिक समाचार-पत्र ''अमर उजाला'' में दिनांक 04 मार्च, 2020 व ''आनन्द टाइम्स में 05 मार्च, 2020 को प्रकाशित करते हुये आपत्ति व सुझाव मांगे गये थे। निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कोई आपत्ति व सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। इसे नगरपालिका परिषद्, रायबरेली की बोर्ड बैठक में दिनांक 12 सितम्बर, 2019 के प्रस्ताव संख्या 04 के अन्तर्गत बोर्ड के समक्ष स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसे बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई है।

''केयरिंग चार्ज उपविधि नियमावली, 2019''

1–संक्षिप्त नाम–यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, रायबरेली की नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन निमयावली, 2016 को अंगीकृत करते हुये बनाई गई है, जो केयरिंग चार्ज उपविधि 2019 कहलायेगी।

2–प्रसार/विस्तार–यह नियमावली नगरपालिका परिषद्, रायबरेली की वर्तमान सीमा तथा भविष्य में होने वाले सीमा वृद्धि से सम्मिलित होने वाले क्षेत्र में प्रभावी होगा।

3–नगरपालिका परिषद्, रायबरेली की सीमा का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना द्वारा निर्धारित नगरपालिका परिषद्, रायबरेली की सीमा से है।

4–अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, रायबरेली के अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी से है।

5–अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, रायबरेली के अधिशासी अधिकारी से है, जो केयरिंग चार्ज अधिकारी/दण्डाधिकारी होगा। अधिशासी अधिकारी उपविधि में दी गई शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अपने द्वारा नामित सक्षम अधीनस्थ अधिकारी से करा सकता है।

6– अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह प्रत्येक 5 वर्ष में केयरिंग चार्ज का पुनरीक्षण करायेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि चार्ज का पुनरीक्षण न हो सका, तो प्रत्येक 5 वर्ष में निर्धारित चार्ज में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये चार्ज वसूलना सुनिश्चित करायेंगे।

7–यह उपविधि शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी। इससे सम्बन्धित पूर्व प्रचलित सभी उप विधियां यथा संशोधित समझी जायेंगी।

केयरिंग चार्ज की दरें

क्र0सं0	कृत्य	पालिका द्वारा आरोपित धनराशि
1	2	3
		रु0
1	आवासीय भवन स्वामियों द्वारा खुले में कूड़ा-कचरा डालने पर	200.00 प्रतिदिन
2	दुकानदारों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	500.00 प्रतिदिन
3	रेस्टोरेन्ट मालिकों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	1,000.00 प्रतिदिन
4	होटल मालिकों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	2,000.00 प्रतिदिन
5	बारात घर, गेस्ट हाऊस, बैंकट हाल द्वारा खुले में कचरा डालने पर	2,500.00 प्रतिदिन
6	औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा खुले में कचरा डालने पर	5,000.00 प्रतिदिन
7	हलवाई, चाट पकौड़ी, फास्ट फूड, आईसक्रीम, गन्ने का रस एवं अन्य जूस एवं फूड आदि ठेला व्यवसायियों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	500.00 प्रतिदिन
8	डेरी मालिकों/पशुपालकों द्वारा गोबर को सार्वजनिक स्थानों पर फेंकना अथवा नाला/नालियों में बहाने पर/नाले नालियों पर अतिक्रमण करने पर	1,000.00 प्रतिदिन
9	निजी मकान, दुकान इत्यादि के निर्माण का मलवा, सामग्री, ईट, सीमेन्ट, लोहा, पत्थर सरकारी भूमि, सार्वजनिक मार्गों, मार्गों आदि पर डालने पर	1,500.00 प्रतिदिन
10	निजी ट्रैक्टरों द्वारा बजरी, कचरा, मलबा, गोबर, इत्यादि परिवहन करते हुए नगर पालिका की सड़कों पर अपनी सामग्री बिखेरने व गन्दगी फैलाने पर	1,500.00 प्रतिदिन
11	सरकारी भवनों, चौराहों, तिराहों, सरकारी कार्यालयों की दीवारों व उनके गेट, सरकारी विद्युत पोल पर निजी वाणिज्यिक प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर, स्लोगन लिखकर सरकारी दीवारें, ऐतिहासिक भवनों की सुन्दरता को खराब करने व बैनर्स लगाने पर उस संस्था अथवा मौके पर पाये गये व्यक्ति से (प्रत्येक कृत्य पर)	2,000.00 प्रतिदिन
12	बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के रोड कट करने पर तथा नाला/नाली को तोड़ने एवं क्षतिग्रस्त करने पर	3,000.00 प्रतिदिन तथा मरम्मत चार्ज अतिरिक्त

1	2	3
		रु0
13	अपने भवन का सैप्टिक टैंक न होने/जल प्रवाहित शौचालय न बनवाकर गन्दगी को नाली में खुले रूप में बहाने पर तथा भवन में सैप्टिक टैंक/जल प्रवाहित शौचालय होने पर भी उसे तोड़कर उसका पानी/गन्दगी को नाली में खुले में बहाने पर	1,000.00 प्रतिदिन
14	अपने भवन, दुकानों पर नीले एवं हरे रंग के ढक्कनदार कूड़ेदान न रखने तथा गीले एवं सूखे कूड़े कचरे को अलग-अलग एकत्रित न करने पर	भवन पर 100.00 व दुकान पर 200.00 प्रतिदिन
15	दुकानदार अथवा ठेला व्यवसायियों द्वारा सड़क पर बैठकर स्कूटर व साईकिल, बड़े वाहनों की रिपेयरिंग कर ऑयल, मिट्टी व पानी फैलाकर गन्दगी करने पर	500.00 प्रतिदिन
16	मीट की दुकानों के सामने दुकानदार द्वारा काटे गये जानवरों की हड्डियों, मलवा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डों के छिलके इत्यादि सार्वजनिक मार्ग स्थल पर डालकर गन्दगी फैलाने पर	1,000.00 प्रतिदिन
17	मुर्गे, मछली, अण्डे की पकौड़ी बनाकर बेचने वाले दुकानदार द्वारा मांस एवं हड्डियों, मलवा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डों के छिलके इत्यादि सार्वजनिक मार्ग स्थल पर डालकर गन्दगी फैलाने पर	1,000.00 प्रतिदिन
18	सार्वजनिक मार्ग, चौराहों व भवनों, दुकानों आदि के सामने गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, भेड़, गधा, घोड़ा, खच्चर, सुअर इत्यादि पालतू जानवरों से गन्दगी फैलाने पर सम्बन्धित पशु के स्वामी से	200.00 प्रतिदिन
19	सड़क किनारे बैठकर मांस-मछली बेंचने वाले दुकानदार द्वारा मांस एवं हड्डियों, मलवा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डों के छिलके इत्यादि सार्वजनिक मार्ग स्थल पर डालकर गन्दगी फैलाने पर	500.00 प्रतिदिन
20	सार्वजनिक स्थान, जमीन व सड़क के किनारे बैठकर सब्जियां बेचकर उनसे निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों, कूड़े कचरे को सार्वजनिक मार्ग स्थल पर डालकर गन्दगी फैलाने पर	200.00 प्रतिदिन
21	हेयर कटिंग सैलून वालों द्वारा सार्वजनिक मार्ग स्थल, नाला, नाली आदि में गन्दगी इत्यादि डालने पर	200.00 प्रतिदिन
22	दुकानदारों अथवा व्यवसायियों द्वारा सार्वजनिक मार्ग, चौराहों, सड़क अथवा दुकानों के सामने की खाली सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर व्यवसाय करने पर	1,000.00 प्रतिदिन
23	सार्वजनिक मार्ग, सड़क, फुटपाथ, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय, ढाबा, होटल आदि चलाकर गन्दगी फैलाने पर	1,000.00 प्रतिदिन
24	प्राईवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, दवाखाना, मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी लैब इत्यादि के द्वारा सार्वजनिक मार्ग, सड़क पर, फुटपाथ पर अपशिष्ट पदार्थों को डालकर गन्दगी फैलाने पर	1,500.00 प्रतिदिन

1	2	3
		रु0
25	विभिन्न चिकित्सालय संस्थानों जैसे प्राईवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब इत्यादि के जैव चिकित्सकीय संस्थानों जैसे प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, पैथालाजी इत्यादि अपशिष्ट में अथवा सार्वजनिक स्थान पर डालने पर	2,500.00 प्रतिदिन
26	(1) मच्छर जनित रोगों से सम्बन्धित कूलर, जल भराव वाले स्थान (खुले टायर आदि) पर लार्वा पाये जाने पर मच्छर जनित परिस्थितियां उत्पन्न होने पर नोटिस देने के बाद नियमानुसार कार्यवाही कर जुर्माना	500.00
	(2) प्रथम जुर्माना के बाद भी मच्छर जनित परिस्थितियां पायी जाती हैं तो पुनः जुर्माना	1,000.00
27	सड़क किनारे वॉशिंग मशीन लगाकर गाड़ियों की धुलाई करने पर	500.00 प्रतिदिन
28	सड़क किनारे, फुटपाथ, रेलवे लाईन किनारे, सार्वजनिक मार्ग, सरकारी भूमि में खुले में शौच करने पर	अधिकतम 200.00 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
29	सड़क किनारे, फुटपाथ, रेलवे लाईन किनारे, सार्वजनिक मार्ग, सरकारी भूमि में खुले में पेशाब करने पर	अधिकतम 100.00 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
30	सड़क किनारे, फुटपाथ, सार्वजनिक मार्ग, सरकारी भूमि, सरकारी कार्यालय, सरकारी कार्यालयों की दीवारों पर थूकने, तम्बाकू, पान आदि की पीक थूकने पर	अधिकतम 200.00 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
31	सार्वजनिक स्थल सरकारी कार्यालयों में धूम्रपान, मद्यपान करने पर	500.00 प्रतिदिन
32	अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कूड़ेदान (डस्टविन) न रखने पर	500.00 प्रतिदिन
33	जलपान गृह, होटल, रेस्टोरेन्ट, मिष्ठान भण्डार, चाय की दुकानों आदि द्वारा प्लास्टिक की थैलियों, गिलासों तथा मानक रहित पॉलीथीन में खाने एवं पीने का सामान बेंचने पर	500.00
34	सड़क पटरी, सार्वजनिक भूमि, सार्वजनिक मार्ग पर जनरेटर रखकर अतिक्रमण करने पर–	
	(A) 5 के0वी0ए0 जनरेटर तक	500.00 प्रतिदिन
	(B) 5 के0वी0ए0 से 10 के0वी0ए0 तक	1,000.00 प्रतिदिन
	(C) 10 के0वी0ए0 से अधिक पर	2,000.00 प्रतिदिन
35	होटल, रेस्टोरेन्ट, फास्ट फूड, चाट, पकौड़ी आदि दुकानदारों द्वारा खाद्य पदार्थों को खुले में रखकर बेंचने पर	500.00 प्रतिदिन

1	2	3
		रु0
36	पालिका सीमान्तर्गत दूध विक्रेताओं द्वारा बिना नगरपालिका में पंजीकरण कराये दूध बिक्री का कार्य करने पर	1,000.00 प्रतिदिन
37	सार्वजनिक नाले, नालियों आदि स्थानों पर स्लैब/स्थायी/अस्थायी अतिक्रमण करने तथा अवैध प्रक्षेप (छज्जा, टीनशेड आदि) डालने पर	5,000.00 प्रतिदिन
38	नगरपालिका परिषद् की सम्पत्ति, शासकीय सम्पत्तियों, भवनों, दुकानों आदि को क्षति पहुँचाने एवं पालिका की बिना अनुमति के उसमें किसी भी प्रकार का निर्माण/परिवर्तन करने पर	5,000.00 प्रतिदिन
39	वाहन पार्किंग हेतु निर्धारित स्थान के अलावा सार्वजनिक मार्गों, चौराहों, सरकारी भूमि पर वाहन खड़ा करके अवरोध उत्पन्न करने पर	500.00 प्रतिदिन
40	नॉन वेंडिंग जोन में ठेला, ठेली, फड़ इत्यादि लगाकर व्यवसाय करने पर	500.00 प्रतिदिन
41	पालिका सीमान्तर्गत सार्वजनिक मार्गों/सार्वजनिक स्थलों/निजी सम्पत्तियों आदि पर कूड़ा, प्लास्टिक की वस्तुयें, तार, पॉलीथीन आदि जलाकर वायु में प्रदूषण करने पर	1,000.00 प्रतिदिन
42	नगर पालिका सीमान्तर्गत बिना नगरपालिका से एनओसी प्राप्त किये भवन निर्माण कार्य करने पर	5,000.00 प्रतिदिन
43	पॉलीथीन, कूड़ा-करकट आदि अपशिष्ट पदार्थों को नाले, नालियों में डालकर अवरोध उत्पन्न करने पर	500.00 प्रतिदिन
44	नगरपालिका की बिना लिखित अनुमति के पालिका की वाटर/सीवर पाइप से संयोजन करने, छेड़छाड़ करना/क्षति पहुंचाने पर	2,500.00 प्रतिदिन तथा नियमानुसार संयोजन शुल्क।
45	नगरपालिका परिषद् सीमान्तर्गत बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति संतापकारी खतरनाक एवं आपत्तिजनक व्यापार जैसे–पटाखे बनाना/बिक्री करना आदि जिससे जनसुरक्षा को खतरा हो	5,000.00 प्रतिदिन
46	सार्वजनिक स्थलों/सार्वजनिक सम्पत्तियों/मार्गों/पार्कों पर लगे पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने पर	2,000.00 प्रतिदिन
47	नगरपालिका की सीमान्तर्गत स्कूल, कालेज, विद्यालयों, शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थलों आदि के आस-पास 100 मीटर की परिधि में बीड़ी सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा, शराब आदि पदार्थों की बिक्री करने पर	1,000.00 प्रतिदिन
48	नगरपालिका की सीमान्तर्गत स्कूल, कालेज, विद्यालयों, शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थलों आदि के आस-पास अनैतिक प्रयोजन से आवारा घूमने पर	1,000.00 प्रतिदिन

1	2	3
		रु0
49	नगरपालिका की सीमान्तर्गत बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के ज्वलनशील सामग्री का ढेर लगाने पर	2,500.00 प्रतिदिन
50	नगरपालिका की सीमान्तर्गत बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के आवासीय क्षेत्रों में सुअर पालन, मुर्गी पालन, डेरी व्यवसाय आदि कार्य करने पर	5,000.00 प्रतिदिन
51	भवन/दुकान स्वामियों द्वारा नल की टोटी खुली पाये जाने पर	500.00 प्रतिदिन
52	नगरपालिका परिषद्, रायबरेली की सीमान्तर्गत बिना पालिका में पंजीकरण के राईस मिल, दवाईयों की दुकान, खाद्य पदार्थों की दुकानें, मीट की दुकानें, जलपान गृह, होटल, रेस्टोरेन्ट, हास्पिटल, बारातघर, गेस्ट हाऊस, बैंकट हाल, शराब की दुकान, निजी विद्यालय, व्यवसायिक विद्यालय, इन्श्योरेन्स कम्पनी, चिट फण्ड कम्पनी, गैर सरकारी प्राईवेट बैंक, पेट्रोल पम्प, गैस कम्पनी व गैस गोदाम, कबाड़ा व्यापार, टायर बिक्री/टायर रिट्रेडिंग वर्कशॉप, किसी भी प्रकार के कपड़े बनाने का कार्य, किसी भी प्रकार के मसाले बनाने का कार्य, आटा/मसाला चक्की, तेल निकालने का कार्य, कुट्टी मशीन का प्रयोग, लकड़ी की टाल का व्यवसाय, लकड़ी के पिलर का प्रयोग, दोपहिया, तीन पहिया, चार पहिया आदि सभी प्रकार के वाहनों की एजेन्सी, डिश एन्टीना द्वारा कनेक्शन देकर व्यवसाय करना आदि सभी प्रकार के कार्य करने पर	10,000.00 प्रतिदिन
53	नगरपालिका परिषद् सीमान्तर्गत लकड़ी की टाल लगाकर सार्वजनिक मार्गों, स्थलों आदि पर अतिक्रमण करने पर	10,000.00 प्रतिदिन
54	नगरपालिका परिषद् सीमान्तर्गत रोड/सड़क पर जानवर बांधने पर एवं गोबर/गन्दगी फैलाने पर	1,000.00 प्रतिदिन
55	नगरपालिका सीमा के अन्तर्गत सीवर टैंक, सीवर लाइन आदि साफ सफाई का कार्य बिना पंजीकरण कराये करते पाये जाने पर	5,000.00 प्रतिदिन
56	नगरपालिका सीमान्तर्गत बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के निजी जल संचयन स्रोत/समर सेबिल पम्प लगाये जाने पर	5,000.00 प्रतिदिन

अन्य कर/शुल्क–

क्र0 सं0	मद	कर/शुल्क
1	अन्य जो ऊपर चिन्हित नही है	अधिशासी अधिकारी/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार।

पूर्णिमा श्रीवास्तव,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, रायबरेली।

कार्यालय, नगर पालिका परिषद्, बुलन्दशहर

06 जनवरी, 2020 ई0

सं0 555/स्वा0वि0/2019-20—नगर पालिका परिषद्, बुलन्दशहर ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 293 व 298 के अन्तर्गत व वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत ''ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016'' के अन्तर्गत वांछित व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन एवं विनियमन हेतु उपविधि बनायी है।

यह उपविधि ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण (Processing) एवं निपटान (Disposal) तथा स्वच्छता सम्बन्धी प्रकरणों के सभी मामलों एवं वस्तुओं के विनियमन के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में पारित संकल्प निम्नवत है—

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि, 2017

1—''संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ''—

(1) इस उपविधि का नाम नगर पालिका परिषद्, बुलन्दशहर की ''नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि 2017'' कहलायेगी तथा सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से लागू/प्रभावी होगीं।

(2) यह उपविधि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के अन्तर्गत संशोधित होने की तिथि तक प्रभावी रहेगी। इस प्रकार के संशोधन स्थानीय समाचार-पत्र में पर्याप्त नोटिस देकर प्रकाशित किये जायेंगे।

2—''लागू होना''—

यह उपविधि नगर पालिका परिषद्, बुलन्दशहर की सीमा में (भविष्य में विस्तारण के फलस्वरूप संशोधित सीमाएं इसमें सम्मिलित मानी जायेगी) लागू होगी एवं सभी सार्वजनिक स्थलों, सभी ठोस अपशिष्ट उत्पादन करने वालों, प्रत्येक स्वामित्व/अध्यासन वाले परिसर से सम्बन्धित व्यक्तियों पर जो नगर पालिका परिषद्, बुलन्दशहर की सीमा में है पर लागू होगी।

(1) इस उपविधि में जब तक कि इस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो उपविधि एवं परिशिष्ट में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा निम्नवत् है—

3—परिभाषाएं—

जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में—

(1) ''अभिकरण या अभिकर्ता'' से तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, बुलन्दशहर द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या संस्था या एजेन्सी या फर्म या संविदाकर्ता से है, जो उसकी ओर से गलियों की सफाई और अपशिष्ट के संग्रह, प्रबंधन, परिवहन, भण्डारण, पृथक्कीरण संग्रहण, यूजर चार्ज, शमन शुल्क के संग्रह आदि कृत्य का निर्वहन करें।

(2) ''जैवनाशित अपशिष्ट (बायोडिग्रेडिबुल वेस्ट)'' से तात्पर्य जीवाणु या अन्य जीवित प्राणियों द्वारा अपघटित या नाशित किये जाने योग्य कूड़ा—कचरा या अपशिष्ट सामग्री से है। उदाहरण स्वरूप पेड़ पौधों/जानवरों से जनित अपशिष्ट जैसे रसोई अपशिष्ट, भोजन एवं फूलों का अपशिष्ट, पत्तियों, बगीचों का अपशिष्ट, जानवरों का गोबर, मीट/मछली का अपशिष्ट अथवा अन्य कोई पदार्थ जो माइक्रोआर्गेनिज्म द्वारा डिग्रेड/डिकम्पोज हो सकता है।

(3) ''जैवचिकित्सा अपशिष्ट (बायोमेडिकल वेस्ट)'' से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो किसी प्राणी या जन्तु के निदान या उपचार के दौरान या अनुसंधान क्रियाकलापों में या जीवों के उत्पादन या परीक्षण में सृजित हो। इसके अन्तर्गत अनुसूची तीन में उल्लिखित श्रेणियां भी सम्मिलित हैं।

(4) ''शुष्क अपशिष्ट से तात्पर्य'' बायो डिग्रेडिबुल अपशिष्ट और गली के निष्क्रिय कूड़ा करकट से भिन्न अपशिष्ट से है और जिसके अन्तर्गत री-साइक्लेबुल अपशिष्ट, नान-रीसाइक्लेबुल अपशिष्ट, ज्वलनशील अपशिष्ट और सेनेटरी नैपकिन और डाइपर आदि से है।

(5) ''घरेलू परिसंकटमय (हजार्डस) अपशिष्ट'' से तात्पर्य घरेलू स्तर पर उत्पन्न संक्रामक/हानिकारक अपशिष्टों जैसे फेंके हुए पेंट के ड्रम, कीटनाशी के डिब्बे, सी0एफ0एल0 बल्ब, ट्यूबलाइटें, अवधि समाप्त औषधियॉ, टूटे हुए पारा वाले थर्मामीटर, प्रयुक्त बैटरियॉ, प्रयुक्त सुइयॉ तथा सिरिंज और संदूषित पटिट्यॉ आदि से है।

(6) ''बायो-मीथेनेशन से तात्पर्य'' ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें माइक्रोबियल एक्शन द्वारा कार्बनिक पदार्थ का इन्जाइमी डीकम्पोजीशन/ब्रेकिंग डाउन होता है जिसके कारण मीथेन से भरपूर बायोगैस का उत्पादन होता है।

(7) ''द्वार-द्वार संग्रहण से तात्पर्य'' घरों, दुकानों वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, संस्थागत या किसी अन्य गैर आवासीय परिसरों के द्वार तक जाकर ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करना और जिसके अन्तर्गत किसी आवासीय सोसायटी, बहुमंजिले भवन या अपार्टमेन्ट, बड़े आवासीय, वाणिज्यिक या संस्थागत काम्पलेक्स या परिसरों में भूतल पर प्रवेश द्वार या किसी अभिहित स्थल से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करने से है।

(8) ''विकेन्द्रित प्रसंस्करण'' से तात्पर्य बायोडिग्रेडिबुल अपशिष्ट के प्रसंस्करण को अधिकतम करने के लिए बिखरी हुई सुविधाओं की स्थापना और उत्पादन के स्रोत से निकटतम रीसाइक्लेबुल सामग्रियों की प्रतिप्राप्ति करने से है ताकि प्रसंस्करण या निपटान के लिए अपशिष्ट का न्यूनतम् परिवहन करना पड़े।

(9) ''ब्रांड ओनर से तात्पर्य'' ऐसी किसी व्यक्ति अथवा कम्पनी से है जो किसी सामग्री की एक रजिस्टर्ड ब्रैंड लेबल के अन्तर्गत वाणिज्यिक विक्रय करती है।

(10) ''निपटान से तात्पर्य'' भूजल, सतही जल, परिवेशी वायु के संदूषण तथा पशुओं या पक्षियों के आकर्षण को रोकने के लिए यथा विनिर्दिष्ट भूमि पर प्रसंस्करण उपरान्त अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट और निष्क्रिय गली का कूड़ा करकट और सतही नाले की सिल्ट का अंतिम तथा सुरक्षित निपटान से है।

(11) ''नगर निकाय'' से तात्पर्य नगर पालिका परिषद बुलन्दशहर से है।

(12) ''बृहद् अपशिष्ट सृजक (बल्क वेस्ट जनरेटर)'' से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट उत्पादकों से है जो औसतन 100 किलाग्राम की दर से अधिक अपशिष्ट उत्पादित करते हैं तथा इनमें केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों अथवा उपक्रमों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक या प्राइवेट सेक्टर की कम्पनियों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों, अन्य शैक्षिक संस्थाओं, छात्रावासों, होटलों, वाणिज्यिक स्थापनाओं, बाजारों, पूजा स्थलों, स्टेडियमों और खेल परिसरों द्वारा अधिकृत भवन या अन्य प्रयोगकर्ता जैसे कि क्लब, जिमखाना, शादीघर, मनोरजंन परिसर भी शामिल हैं, आदि से है।

(13) ''संग्रहण'' से तात्पर्य नियत संग्रहण स्थलों या अन्य स्थानों से नगरीय ठोस अपशिष्ट के उठाने और हटाने से है।

(14) ''स्रोत पर संग्रहण'' से तात्पर्य किसी भवन के परिसर या भवनों के किसी समूह के परिसरों के भीतर से नगर निकाय द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण से है। इसे ''घर-घर संग्रहण'' भी कहा जा सकता है।

(15) ''सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र'' से तात्पर्य किसी ऐसी भण्डारण सुविधा से है जिसकी व्यवस्था तथा रख-रखाव नगरीय ठोस अपशिष्ट के भण्डारण हेतु एक या उससे अधिक परिसरों के स्वामियों और/या अध्यासियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

(16) ''कम्पोस्ट खाद निर्माण से तात्पर्य'' ऐसी नियन्त्रित प्रकिया से है जिसमें कार्बनिक पदार्थ का जैविकीय अपघटन एरोबिक/एनएरोबिक अन्तर्ग्रस्त है। इसके अन्तर्गत कृमिक खाद निर्माण भी है, जो जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट को वानस्पतिक खाद में परिवर्तित करने हेतु केचुओं के प्रयोग की एक प्रक्रिया है।

(17) ''निर्माण व ध्वस्तीकरण सम्बन्धी अपशिष्ट'' से तात्पर्य निर्माण, पुर्ननिर्माण, मरम्मत और ध्वस्तीकरण संक्रिया से निकलने वाली भवन सामग्री, मलवा और रोड़ी से उत्पन्न अपशिष्ट से है।

(18) ''अपशिष्ट छॅटाई केन्द्र'' से तात्पर्य किसी ऐसी अभिहित भूमि शेड छतरी, या ढांचे से है जो किसी नगर निकाय की या सरकारी भूमि पर या अपशिष्ट को प्राप्त करने या उसकी छँटाई करने के लिए प्राधिकृत किसी सार्वजनिक जगह पर स्थित हो।

(19) ''अपशिष्ट उत्पादक'' से तात्पर्य नगर निकाय की सीमा में नगरीय ठोस अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले किसी व्यक्ति या संस्था से है।

(20) ''निष्क्रिय ठोस अपशिष्ट से तात्पर्य'' किसी ठोस अपशिष्ट या प्रसंस्करण के अवशेष से है, जिसके भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणधर्म उसे सफाई सम्बन्धी गड्ढे के लिए उपयुक्त बनाते हैं।

(21) ''कूड़ा कचरा से तात्पर्य'' किसी प्रकार का ठोस या तरल घरेलू या वाणिज्यिक कचरा, मलबा या कूड़ा या किसी प्रकार का शीशा धातु आदि के टुकड़े कागज कपड़ा, लकडी खाना, वाहन के परित्यक्त भाग, फर्नीचर या फर्नीचर के भाग, निर्माण से ध्वस्त सामग्री, उद्यान अपशिष्ट, कतरन, ठोस बालू या पत्थर, और किसी सार्वजनिक स्थान पर जमा की गयी कोई अन्य सामग्री पदार्थ या वस्तु से है।

(22) ''संग्रहण'' से तात्पर्य कूड़े कचरे को ऐसे स्थान पर रखने से है, जहां पर वह गिराया या उतारा जाता है अथवा बह कर आता है, रिसता या अन्य प्रकार से बह कर आता है या किसी सार्वजनिक स्थान में या उस पर उसके गिराने, उतारने, बहकर आने, रिसने या किसी प्रकार से आने की सम्भावना हो।

(23) ''स्थानीय क्षेत्र नागरिक समूह'' स्थानीय क्षेत्र नागरिक समूह से तात्पर्य आवासीय या वाणिज्यिक परिसरों के स्वामियों या अध्यासियों के किसी समूह या किसी विशिष्ट पड़ोस के ऐसे स्वामियों या अध्यासियों की समितियों या संगठनों से है जो नगर निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्ड के आधार पर परिभाषित किये गये हों, जो उस क्षेत्र में सफाई बनाए रखने और अपशिष्ट में कमी करने, पृथक्करण और पुर्नचक्रण के लिए उत्तरदायित्व लेने के लिए आगे आये हों। प्रतिबन्ध यह है कि व सहकारी समितियों, के निबन्धक द्वारा पंजीकृत हों और उनके उद्देश्य और प्रयोजन के अन्तर्गत सफाई बनाये रखना और अपशिष्ट के पृथक्करण और पुर्नचक्रण भी सम्मिलित हों और उसे नगर निकाय द्वारा स्थानीय क्षेत्र नागरिक समूह के रूप में अनुमोदित किया गया हो।

(24) ''मार्ग विक्रेता (स्ट्रीट वेण्डर)'' से तात्पर्य किसी गली, लेन, पार्श्व-पथ, पैदल पथ, खड़न्जा, सार्वजनिक उद्यान या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर या प्राइवेट क्षेत्र, अस्थायी रूप से निर्मित संरचना या स्थान से स्थान घूम कर साधारण जनता को दैनिक उपयोग के वस्तु, माल, खाद्य सामग्री या वाणिज्यिक वस्तु के विक्रय करने या उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानान्तरित करने में लगे व्यक्ति से है जिसके अन्तर्गत फेरीवाला आदि सम्मिलित हैं।

(25) ''नगरीय ठोस अपशिष्ट'' के अन्तर्गत नगर निकाय में उत्पादित ऐसा वाणिज्यक, आवासीय और अन्य अपशिष्ट भी है, जो ठोस या अर्द्धठोस रूप में हो।

(26) ''गैर सरकारी संगठन या स्वयंसेवी संगठन'' से तात्पर्य नगर के ऐसे गैर सरकारी संगठन से है, जो नगर में सिविल सोसाइटी संगठन और गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधत्व निकाय है, सुसंगत अधिनियमों के तहत पंजीकृत हो।

(27) ''अध्यासी'' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भूमि या किसी भवन या उसके भाग का अध्यासी है या अन्यथा रूप से उपयोग कर रहा है।

(28) ''स्वामी से तात्पर्य'' ऐसे व्यक्ति से है जो किसी भवन भूमि या उसके भाग के स्वामी के अधिकारों का प्रयोग कर रहा है।

(29) ''प्रस्संकरण'' से तात्पर्य ऐसे किसी वैज्ञानिक प्रस्संकरण से है जिसके द्वारा ठोस अपशिष्ट पुनर्चक्रण या भू-भरण स्थल हेतु उपयुक्त बनाने के प्रयोजन के लिए प्रस्संकरण हेतु अभिक्रियित किया गया है।

(30) ''पुनर्चक्रण'' से तात्पर्य नये उत्पादों को उत्पादित करने हेतु पृथक्कृत गैर जैव विकृत ठोस अपशिष्ट को ऐसी कच्ची सामग्री में परिवर्तित करने की प्रकिया से है, जो मूल उत्पादों के समान हो सकती है या नहीं हो सकती है।

(31) ''कचरा निस्तारण प्रभार से तात्पर्य'' नगर निकाय द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट उत्पादकों से नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रह, परिवहन, और निस्तारण के लिए अधिसूचित फीस या प्रभार से है। इसमें विभिन्न प्रकार के लाईसेंसी के लिए यथा प्रयोज्य व्यापार कचरा प्रभार सम्मिलित है।

(32) "प्रयोक्ता शुल्क'' से तात्पर्य कचरा निस्तारण कार्य के सन्दर्भ में निर्धारित यूजर चार्ज से है।

(33) ''पृथक्करण'' से तात्पर्य नगरीय ठोस अपशिष्ट को विनिर्दिष्टि समूह के जैव नाशित परिसंकटमय जैव चिकित्सीय निर्माण और ध्वंष सामूहिक उद्यान और बागवानी एवं समस्त अन्य अपशिष्ट को पृथक करने से है।

(34) ''छंटाई'' करना से तात्पर्य मिश्रित अपशिष्ट से पुर्नचक्रण योग्य विभिन्न संघटकों और प्रवर्गों जैसे कागज, प्लास्टिक, गत्ता, धातु, कॉच आदि को समुचित पुनः चक्रण सुविधा में पृथक करना सम्मिलित है।

(35) ''भण्डारण'' से तात्पर्य नगरीय ठोस अपशिष्ट के उस रीति से अस्थायी संग्रहण से है जिससे कि कूड़ा करकट के बिखराव, रोगवाहकों के आकर्षण, आवारा पशुओं और अतिशय दुर्गन्ध को रोका जा सके।

(36) ''परिवहन'' से तात्पर्य नगरीय ठोस अपशिष्ट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से है।

(37) ''विहित प्राधिकारी'' में अधिशासी अधिकारी से सफाई कर्मचारी तक समस्त अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित माने जायेंगे।

इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होगें, जो उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 में उनके लिए क्रमशः समुनिदेशित है जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

इस उपविधि के अर्न्तगत उपरोक्त दी गयी परिभाषा से सम्बन्धित दायित्वों/कर्तव्यों/कार्यों का विवरण, प्रतिषेध, शास्ति एवं प्रशमन आदि का विवरण निम्नवत् है–

1–प्रत्येक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं के सामान्य कर्तव्य–

(क) उनके द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट को पृथक्कृत और तीन पृथक शाखाओं अर्थात बायोडिग्रेडिबुल (गीला कूड़ा), नान-बायोडिग्रेबल (सूखा कूड़ा) और घरेलू हजार्डस अपशिष्ट के तीन अलग-अलग रंग के डिब्बों क्रमशः हरा, नीला एवं काला में भंडारित करेगा और समय-समय पर नगर पालिका परिषद द्वारा निर्गत निर्देश या अधिसूचना के अनुसार पृथक किये गये अपशिष्टों को प्राधिकृत अपशिष्ट चुनने वालों या अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को सौंपेगा।

(ख) प्रयोग किये गये स्वास्थ्यकर अपशिष्ट जैसे डायपरों और स्वास्थ्यकर पैडों आदि इन उत्पादों के निर्माताओं या ब्रांड स्वामियों द्वारा उपलब्ध करायी गई थैली में या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा यथा निर्देशित उपयुक्त लपेटन (रैपर) सामग्री में शुष्क अपशिष्ट या नान-बायोडिग्रेबल अपशिष्ट हेतु बनाये गये डिब्बे में उसे डालेगा।

(ग) अपने परिसर से उत्पन्न कृषि उद्यान अपशिष्ट और उद्यान अपशिष्ट को अपने ही परिसर में पृथक रूप से भंडारित करेगा और समय-समय पर स्थानीय निकाय के निर्देशानुसार इसका निपटान करेगा।

[2] कोई अपशिष्ट उत्पादक उसके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को गली, खुले सार्वजनिक स्थानों, नाली/नालों या जलाशयों में न फेकेगा, न जलायेगा और न गाड़ेगा।

[3] सभी अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता ऐसी उपयोक्ता फीस अनुसूची-4 का भुगतान करेंगे जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये नगर पालिका परिषद की उपविधि में विनिर्दिष्ट किया गया है।

[4] कोई व्यक्ति अग्रिम रूप से कार्यक्रम की तिथि से कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व स्थानीय निकाय को सूचित किये बिना किसी गैर अनुज्ञप्ति वाले स्थान पर एक सौ व्यक्तियों से अधिक का ऐसा कोई आयोजन या समारोह आयोजित नहीं करेगा। ऐसी व्यक्ति या ऐसे आयोजन का आयोजक स्रोत पर अपशिष्ट के पृथक्करण की व्यवस्था करेगा और पृथक्कृत अपशिष्ट को नगर पालिका परिषद द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौपेगा तथा इस सन्दर्भ में दी गयी अनुमति की सभी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

[5] प्रत्येक मार्ग विक्रेता (स्ट्रीट वेन्डर) अपने कार्यकलाप के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जैसे कि खाद्य अपशिष्ट प्रयोज्य (डिस्पोजेबल) प्लेटों, कपों, डिब्बों, रैपरों, नारियल के छिलकों, शेष बचे भोजन, सब्जियों, फलों आदि के लिये उपयुक्त पात्र रखेगा और ऐसे अपशिष्ट को नगर पालिका परिषद द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौपेगा अन्यथा समीपस्थ सम्बन्धित अपशिष्ट संग्रह पात्रों में डालेगा।

[6] 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी गेट लगे समुदाय और संस्थान नगर पालिका परिषद की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित उत्पादकों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर ही पृथक करना, पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रहण करने में सहायता करना तथा पुनर्चक्रकों को सौंपना सुनिश्चित करेगें। बायोडिग्रेबल अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रहण करने में सहायता करना तथा पुनर्चक्रकों को सौंपना सुनिश्चित करेगे। बायोडिग्रेबल अपशिष्ट का जहां तक संभव होगा परिसर के अंदर संसाधित, उपचारित और कम्पोस्टिंग करके अथवा बायोमीथेनेशन के जरिये निपटान किया जायेगा। शेष अपशिष्ट नगर पालिका परिषद द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को सौंप दिया जायेगा।

[7] सभी बृहद् अपशिष्ट सृजक नगर पालिका परिषद की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित उत्पादकों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर पृथक करने, पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रहण करने और पुनर्चक्रणीय सामग्री को प्राधिकृत अपशिष्ट उठाने वालों अथवा प्राधिकृत पुनर्चक्रकों को सौंपना सुनिश्चित करेंगे। बृहद् अपशिष्ट सृजक द्वारा बायोडिग्रेबल अपशिष्ट का, परिसर के अंदर संसाधित, उपचारित और कंपोस्टिंग करके अथवा बायो मिथेनाइजेशन के जरिये निपटान अनिवार्य रूप से किया जायेगा। शेष अपशिष्ट नगर पालिका परिषद द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को सौंप दिया जायेगा।

2– **प्रतिषेध–**

(1) कोई व्यक्ति स्वयं या दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी भी साधन से जानबूझकर या अन्य किसी सार्वजनिक स्थान, निजी या सार्वजनिक जल निकासी कार्यो से सम्बद्ध नाली, गली, गड्ढा, सम्वातन पाईप और फिटिगों में कोई कूड़ा कचरा, या अपशिष्ट नहीं फेंकेगा या फेंकवायेगा जिससे निम्नलिखित की सम्भावना हो –

जल निकास और मल नालियों को क्षति पहुॅचने की,

नाली एवं मल पदार्थ के निर्बाध प्रवाह या उसके उपचार और व्ययन में बाधा पड़ने की,

खतरनाक होने या जनस्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने की,

(2) कोई भी व्यक्ति विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित लोक सुविधाओं के सिवाय प्रसुविधाओं के किसी सार्वजनिक स्थल पर स्नान नहीं करेगा न ही थूकेगा न पेशाब करेगा न ही उसे विकृत करेगा न पशुओं और चिड़ियों के समूह को खिलायेगा और न ही, पशुओं, वाहनो बर्तनो या किसी अन्य वस्तु का प्रक्षालन करेगा।

(3) कोई व्यक्ति स्वामी या अधिभोगी स्वामित्व प्राप्त या अध्यासित किसी परिसर के सामने या उससे संलग्न किसी सार्वजनिक स्थल को किसी प्रकार के अपशिष्ट चाहे वह द्रव्य, अर्द्धठोस या ठोस पदार्थ हो जिसमें मल प्रवाह और अपशिष्ट जल भी सम्मिलित है, से गन्दा नहीं करेगा।

(4) कोई भी व्यक्ति खुले में शौच/पेशाब न तो स्वयं करेगा और न ही अपने पालक से करायेगा।

(5) पालतु पशुओं के स्वामी किसी भी दशा में उन्हें खुला नहीं छोड़ेगें क्योंकि इससे मार्गों/खुले सार्वजनिक स्थलों पर उनके मलमूत्र से गंदगी, आवागमन में अवरोध एवं दुर्घटनायें होने की सम्भावना बनी रहती है।

(6) कोई भी व्यक्ति घाटों, सीढ़ियों, सड़कों के डिवाडर, नाम पटों, साइनेज या मार्ग दर्शक बोर्डो अथवा इसी प्रकार के सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर या अन्य सामग्री चिपकाकर या अन्य प्रकार से गंदगी नही करेगा।

(7) कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं थर्मोकोल आइटम्स का उत्पादन वितरण, भण्डारण एवं विक्रय नहीं करेगा।

(8) कोई भी व्यक्ति सड़क, मार्ग या अनाधिकृत स्थल पर जानवरों का गोबर, लीद, पचौनी या अन्य इसी प्रकार के पदार्थ न तो डालेगा और न ही डलवायेगा।

(9) कोई भी व्यक्ति, जानवरों का पालक/स्वामी ड्रेनेज/सीवरेज सिस्टम में गोबर इत्यादि डालकर गन्दगी नहीं करेगा।

(10) कोई भी व्यक्ति या उसका पालक किसी सार्वजनिक स्थल, सड़क, पार्क आदि में अपशिष्ट नहीं डालेगा। इन स्थानों की सफाई हो जाने के बाद अपशिष्ट डालकर गन्दगी करने पर अथवा सफाईकर्मी द्वारा घर-घर से अपशिष्ट एकत्रित करने के बाद यदि किसी व्यक्ति द्वारा गली या सड़क पर कूड़ा डालते हुये पाया जाता है तो अपशिष्ट को स्थल से हटाकर निस्तारण स्थल तक ले जाने का व्यय सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता से वसूल किया जायेगा।

3–नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण–

(1) घरेलू अपशिष्ट का द्वार-द्वार संग्रहण–

(क) द्वार-द्वार संग्रहण में लगे प्रत्येक सफाईकर्मी को कंटेनरयुक्त हाथठेला/रिक्शा तथा एक घण्टी या सीटी/सायरन उपलब्ध करायी जायेगी। प्रत्येक कर्मी का सफाई बीट मे सफाई तथा निश्चित की गई संख्या में भवनों के अपशिष्ट संग्रहण का दायित्व सौंपा जायेगा। सफाई कर्मी घण्टी या सीटी/सायरन बजाकर सफाई तथा घरों से अपशिष्ट संग्रहण का कार्य यथा-निर्धारित समयावधि में एवं यथा-निर्धारित स्वरूप में करेगा। सफाई कर्मी सड़क/गली की सफाई से संग्रहित पेड़ों के पत्तों एवं कूड़े को जलायेगा नही और उसे नगर पालिका परिषद द्वारा प्राधिकृत अपशिष्ट संग्रहकर्ता को सौपेगा।

(ख) नगर निकाय वैकल्पिक रूप मे घर-घर से अपशिष्ट संग्रहण के लिए कन्टेनरयुक्त वाहन/ मोटरवाहन की व्यवस्था कर सकेगा। वाहन चालक, घर या बीट मे हार्न बजाकर अपने आने की सूचना देगा, स्वामी या अध्यासी अपने घरेलू अपशिष्ट को सीधे कन्टेनर मे डालेगे।

(ग) किसी कारणवश उप नियम (क) अथवा (ख) में अंकित व्यवस्था संभव न होने पर स्वयं सेवी संगठनों, अभिकरणों अथवा ठेकेदारों द्वारा प्रतिदिन घर-घर से अपशिष्ट संग्रहण का कार्य कराया जा सकेगा।

(घ) भवन स्वामी या अध्यासी से प्रयोक्ता शुल्क भी वसूला जा सकेगा।

(2) होटल अपशिष्ट का संग्रहणः–

होटल या रेस्टोरेंट द्वारा अपशिष्ट संग्रहण के लिए स्वयं की व्यवस्था की जायेगी। नगर निकाय द्वारा यह व्यवस्था सम्पूर्ण लागत मूल्य के भुगतान के आधार पर की जा सकेगी।

(3) शादी घरों, कल्याण मण्डपों एवं सामुदायिक क्रेंद्रो के अपशिष्ट का संग्रहणः–

शादी घरों, कल्याण मण्डपों, सामुदायिक केन्द्रों से प्रतिदिन अपशिष्ट संग्रहण के लिए नगर निकायों द्वारा सम्पूर्ण लागत मूल्य के भुगतान के आधार पर की जा सकेगी। यह व्यवस्था ठेकेदारों द्वारा अथवा अभिकरण/अभिकर्ताओं द्वारा भी करायी जा सकेगी।

(4) वधशाला अपशिष्ट तथा मृत पशुओं की अस्थियों का निस्तारण वैज्ञानिक रीति से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार की जायेगी। इस अपशिष्ट को नगरीय ठोस अपशिष्ट मे सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(5) औद्योगिक अपशिष्ट का संग्रहण परिवहन और निस्तारण औद्योगिक आस्थानों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(6) अनुपचारित जैव चिकित्सा अपशिष्ट (जैसा अनुसूची-3 मे सूचीबद्ध है) का विनिर्दिष्ट प्रकार के आच्छादित पात्रों में भण्डारित किया जायेगा और अपशिष्ट के प्रत्येक उत्पादक द्वारा संग्रह वाहन को सौंपा जायेगा जिसकी व्यवस्था साप्ताहिक समयान्तर से नगर निकाय द्वारा या किसी अभिकरण द्वारा की जायेगी या ऐसे अपशिष्ट के संग्रह के लिए अभिहित केन्द्र को ऐसी रीति से निस्तारण करने के लिए सौंपा जायेगा जो जैव चिकित्सा अपिशिष्ट (प्रबन्धन और व्यवस्था) नियमावली, 2016 के अनुसार आदेशित हों।

(7) निर्माण और ध्वस्तीकरण संबंधी अपशिष्ट के भण्डारण और निस्तारण के सम्बन्ध मे लघु सृजकों (घरेलू स्तर) के लिए यह उत्तरदायित्व पूर्ण होगा कि वह प्रारम्भिक अवस्था में भी पृथक-पृथक किये गये निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का भण्डारण करेगें एवं नगर पालिका परिषद द्वारा निर्धारित स्थल पर उसका परिवहन कर डालेगा, अन्यथा कि स्थिति में उत्पादक नगर निकाय या उसके अधिकर्ता से सम्पर्क स्थापित करेगें जो उत्पादक से पृथक-पृथक किये गये निर्माण और विध्वंस अपिशिष्ट को उठाने के लिये वाहन उपलब्ध करायेगा जिसका एक विनिर्दिष्ट प्रभार होगा। तदुपरान्त इस अपशिष्ट को प्रसंस्करण केन्द्र को भेज दिया जायेगा।

(8) सभी जैव अनाशित (नानबायोडिग्रडेबुल) अपशिष्ट पुनः प्रयोग करने योग्य और पुनः प्रयोग न करने योग्य अपशिष्ट का भंडारण अपशिष्ट के प्रत्येक उत्पादक द्वारा पृथक-पृथक किया जायेगा और उसे निर्दिष्ट अपशिष्ट संग्रह वाहन को सौंपा जायेगा, जिसकी व्यवस्था नगर पालिका परिषद या उसके अभिकर्ताओं द्वारा ऐसे

स्थानों और ऐसे समय पर की जायेगी जैसा कि ऐसे अपशिष्ट को संग्रह करने के लिए समय–समय पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा या नगर निकाय या सरकारी या निजी भूमि पर स्थापित लाइसेंस प्राप्त ऐसे अपशिष्ट के छंटान केन्द्रों को दिया जायेगा।

वेस्ट पिकर्स-वेस्ट पिकर्स (कूड़ा बिनने वालों का) का सर्वेक्षण कर उनका व उनसे संबंधित सहकारी संस्थाओं को चिन्हित किया जायेगा तथा प्रत्येक वेस्ट पिकर को पहचान पत्र दिया जायेगा। उन्हें अपने कार्य का प्रशिक्षण देते हुए उनका कार्य क्षेत्र निर्धारित कर पहचान-पत्र में अंकित किया जायेगा तथा उन्हें घर-घर से रिसाईक्लेबल अपशिष्ट संग्रह करने हेतु प्रेरित किया जायेगा।

वेस्ट पिकर्स वाली सहकारी संस्थाओं, लाइसेंस प्राप्त पुनः प्रयोगकर्ताओं या कबाड़ियों को, अपशिष्ट संग्रह सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए नगर निकाय के लाइसेंस प्राप्त अभिकर्ताओं के साथ ऐसे अपशिष्ट छटान केन्द्रों के संचालन के लिए नियुक्त किया जा सकता है। (पुनः प्रयोग करने योग्य अपशिष्ट के प्रकार की विस्तृत सूची अनुसूची दो मे दी गई है)।

(9) उद्यान और बागबानी अपशिष्ट की प्रारंभिक अवस्था मे ही कम्पोस्ट खाद बनायी जायेगी। जहां स्थल पर ही कम्पोस्ट खाद बनाना संभव न हो नगर निकाय अधिसूचित उचित फीस लेकर पृथक-पृथक किये गये उद्यान और बागबानी अपशिष्ट का संग्रह और परिवहन जारी रखेगा।

(10) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से संग्रहित अपशिष्ट को हाथठेला गाड़ियों से सामुदायिक अपशिष्ट संग्रह स्थल पर डाला जायेगा।

(11) किसी प्रकार के अपशिष्ट को जलाया नहीं जायेगा।

(12) नाले एवं नालियों के सफाई से निकली हुई सिल्ट के संग्रह एवं परिवहन तथा निपटान हेतु अलग से व्यवस्था की जायेगी।

4– नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण–

(1) प्रत्येक व्यक्ति, स्वामी या अध्यासी या अपशिष्ट उत्पादक नगरीय ठोस अपशिष्ट को अपशिष्ट उत्पादन स्रोत के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों मे पृथक करेगाः–

1–जैव नाशित (बायोडिग्रेडिबुल) अपशिष्ट (गीला कूड़ा)

2–जैव अनाशित (नानबायोडिग्रेडिबुल) अपशिष्ट (सूखा कूड़ा)

3–जैव चिकित्सीय (बायोमेडिकल) अपशिष्ट

4–घरेलू परिसंकटमय (हजार्ड्स) अपशिष्ट

(2) पृथक्करण के लिए नगर निकाय द्वारा जनजागरण एवं प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाया जायेगा। इस हेतु जन कल्याण समितियों, गैर सरकारी संगठनों, कक्ष समितियों, तथा नागरिक समूहों को सम्मिलित किया जायेगा।

5–नगरीय ठोस अपशिष्ट का भण्डारण–

(1)नगर निकाय नगरीय ठोस अपशिष्ट के भण्डारण के सुविधाओं की स्थापना और अनुरक्षण इस नीति से करेगा कि आस-पास अस्वास्थ्यकर स्थिति न उत्पन्न हो।

(2) भण्डारण सुविधा सुगम स्थल पर होगी।

(3) भण्डारण सुविधा इस प्रकार की हो कि वहॉ किसी प्रकार का अप्रदूषण तथा गन्दगी न फैले।

(4) नगरीय ठोस अपशिष्ट का भण्डारण व हथालन सुगमतापूर्वक हो सके, अतः यह कार्य मशीनों द्वारा किया जाना श्रेयस्कर होगा।

(5) जहां किसी सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र चाहे वह खुले स्थान में हो या बन्द शेड मे जो किसी परिसर में हो या सार्वजनिक स्थान पर स्थित हो, से नगर निकाय वाहनों द्वारा सीधे ही नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रह किया जाता हो वहां ठोस को पृथक-पृथक किये गये अपशिष्ट के विभिन्न प्रकारों के लिए व्यवस्था किये गये अनुसार जमा किया जायेगा।

6–सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र–

अपशिष्ट उत्पादकों द्वारा पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट का निस्तारण इस हेतु उपबंधित अपशिष्ट वाहनों तथा अपशिष्ट भण्डार केन्द्रों में किया जायेगा जहां से नगर निकायों द्वारा संग्रह वाहन ऐसे अपशिष्ट का प्रतिदिन ऐसे समय पर संग्रहित करेगा जैसा अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी/कर्मचारी समय-समय पर अधिसूचित करें।

7–ढॉचागत सुविधाओं की व्यवस्था–

नगर निकाय इस नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन में नागरिको की सहायता करने के लिए पर्याप्त ढॉचागत सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। अपशिष्ट संग्रह सेवाओं के अतिरिक्त कूड़ा फेकने के लिए डस्टबिन, सामुदायिक भण्डारण केन्द्र अपशिष्ट छॅटान केन्द्र और कम्पोस्ट खाद बनाने के केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। जहां कहीं सम्भव और आवश्यक हो यह कार्य स्थानीय नागरिकों के परामर्श और सहभागिता से किया जायेगा। मलिन बस्तियों में सामुदायिक शौचालयों और प्रक्षालन सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा मे व्यवस्था की जायेगी, जिसमे संगठनो या स्थानीय क्षेत्र के नागरिक समूहों पर आधारित स्थानीय समुदायों की भागीदारी होगी।

किसी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, मार्केट कॉम्प्लेक्स की निर्माण योजना के अनुमोदन से पूर्व भवन योजना में पृथक किए गये अपशिष्ट के संग्रहण पृथक्करण और भण्डारण के लिए अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित किए जाने का प्राविधान सम्बन्धित सक्षम प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

दिन प्रतिदिन के आधार पर बाजारों से सब्जियों, फलों, फूलों, मांस, कुकुट पालन और मछली बाजार से अपशिष्ट संग्रह करना और इस हेतु स्वास्थ्यकर स्थिति सुनिश्चित करते हुए उचित स्थानों पर विकेन्द्रिकृत कम्पोस्टिंग प्लांट या जैव मीथेनीकरण प्लांट की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

8–सुविधा और सहायता उपलब्ध करना–

अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकारी कम्पोस्ट खाद्य बनाने वाले विशेषज्ञों लाइसेंस प्राप्त कबाड़ियों, पुनः प्रयोग करने वाले व्यपारियों, कूड़ेदान विनिर्माताओं, पुनः प्रयोग करने में सिद्धहस्त अभिकरणों की सूची बनायेगा और उसे प्रकाशित करेगा, जिससे कि अपशिष्ट को पुनः प्रयोग करने योग्य बनाने में नागरिकों को सुविधा और सहायता मिल सके। कर्मचारियों और पंजीकृत व्यक्तियों और संगठनो के नाम और टेलीफोन नंबर नगर निकाय के सम्बिन्धित कार्यालयों से उपलब्ध कराये जायेगें। ये संगठन इस प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में प्रशिक्षण, दिशा निर्देश और सहायता प्रदान कर सकते हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं और क्षेत्रीय नागरिक समूहों के माध्यम से इसके बारे में जागरूकता उत्पन्न की जायेगी।

9–कूड़ा कचरा निस्तारण प्रभार एवं प्रयोक्ता शुल्क का लगाया जाना–

नगर निकाय होटलों, रेस्तरां और अपशिष्ट के अन्य सृजकों पर कूड़ा कचरा निस्तारण प्रभार लगायेगा। अपशिष्ट प्रभार का निर्धारण अधिशासी अधिकारी द्वारा अपशिष्ट की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए अनुपातिक सिद्धान्त के आधार पर लगाया जायेगा। कूड़े के समुचित निस्तारण के लिए प्रयोक्ता शुल्क लगाया जायेगा जोकि अनुसूची–4 में वर्णित दरों के अनुसार होगा जोकि प्रत्येक 02 वर्ष में पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

10–कम्पोस्ट खाद को बनाया जाना–

अपशिष्ट के सृजकों को प्रोत्साहित किया जाये कि वे अपने जैवनाशित अपशिष्ट (बायोडिग्रेबल) से कम्पोस्ट खाद बनायें और उसे अपने बगीचों और अपने निजी परिसरों मे लगाये गये पेड़ों और आस-पास के पेड़ों मे डाले। इस कार्य से बची हुई कम्पोस्ट खाद को नगर निकाय निविर्दिष्ट निर्धारित मूल्य पर क्रय कर सकेगा।

11– नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण–

(1) जहॉ कहीं सम्भव हो नगर निकाय सार्वजनिक पार्कों, क्रीडा स्थल, मनोरंजन स्थल, उद्यानों, अधिक मात्रा मे खाली भूमि चाहे वह नगर निकाय या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण या सरकारी विभाग के स्वामित्व मे हो या उसके द्वारा अनारक्षित हो पर लघु प्रसंस्करण इकाईयॉ (कम्पोस्ट खाद बनाना या जैव मीथेनीकरण) स्थापित करेगा।

ऐसी इकाइयों की स्थापना तथा अनुरक्षण गैर सरकारी संगठनों अभिकर्ताओं व्यवस्था अधिकारियों, ठेकेदारों, किरायेदारों, द्वारा भी की जा सकती है। ये संस्थायें स्थानीय समुदाय के लिये नमूनों का प्रर्दशन करेगी और इस प्रकार से कार्य करेगी जिससे समाज या पर्यावरण को कोई असुविधा या हानि न हो।

(2) नगर निकाय नदियों, झीलों, तालाबों, पूजा स्थलों आदि के पास कतिपय निर्दिष्ट स्थलों से पूजा सामग्रियों (फूल, पत्ती, फल) को विशेष पात्रों या कलशों मे इकट्ठा करने हेतु या तो स्वयं दायित्व लेगा या इच्छुक संगठनो को प्राधिकृत करेगा। इन कलशों या पात्रों से इकट्ठा की गयी सामग्री को उपयुक्त स्थान पर गाड़ा जायेगा या कम्पोस्टिंग इकाइयों द्वारा विशेष रूप से व्यवस्था की जायेगी।

(3) अपशिष्ट के परिवहन लागत को कम करने और अपशिष्ट के स्थानीय प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के वृहत्तर लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से सम्बन्धित अधिकारी से नोटिस प्राप्त करने वाले अपशिष्ट के किसी उत्पादक के लिये यह अपेक्षित होगा कि वह यथाविनिर्दिष्ट उपयुक्त नोटिस की अवधि के पश्चात् उद्गम स्थल पर या नोटिस में इस प्रयोजनार्थ अभिहित स्थलों पर जैवनाशित अपशिष्ट को प्रसंस्कृत करे।

(4) नगर निकाय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के लिये यथा-आवश्यक एक से अधिक भूमि भरण स्थलों का चिन्हीकरण विकास और अनुरक्षण करेगी और उसमें ऐसे निष्क्रिय ठोस अपशिष्टों को जो पुनर्चक्रण अथवा प्रसंस्करण के लिये समुचित न हो डाला जायेगा।

(5) पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्टों मे पुनर्चक्रण की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

(6) वह अपशिष्ट जो अनुपयोगी हो, पुनर्चक्रण के योग्य न हो, नॉन बायोडिग्रेबुल न हो, ज्वलनशील न हो तथा नॉन रीएक्टिव व इनर्ट हो तथा जो अवशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा से छांट कर निकाला गया हो को; सैनिटरी लैण्डफिल साइट पर निस्तारित किया जायेगा।

(7) छटे हुए अपशिष्ट को यथा सम्भव रीसाइकिल व रीयुज करने हेतु प्रयास किया जायेगा ताकि जीरो-वेस्ट के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

(8) खुली हुई डम्प साइट्स की बायो-माइनिंग व बायो-रेमिडिएशन की व्यवस्था की जायेगी। उपयुक्त न होने पर अथवा अन्यथा की स्थिति में इनकी मानक के अनुसार कैपिंग की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा की जायेगी ताकि पर्यावरण प्रदूषित न हो।

(9) घरेलु परिसंकट मय अपशिष्ट के एकत्रीकरण के लिए अपशिष्ट निक्षेपण केन्द्र की स्थापना, जिसको 10 किलो मीटर क्षेत्रफल के घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट के एकत्रीकरण के लिए बनाया जायेगा। इन केन्द्रों में घरेलू परिसंकट मय अपशिष्ट जमा करने का समय अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

(10) घरेलु परिसंकट मय अपशिष्ट के सुरक्षित भण्डारण एवं परिवहन के लिए राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जायेगा।

12–**नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन–**

अधिशासी अधिकारी, या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकारी किसी सार्वजनिक या निजी स्थल पर अपशिष्ट एकत्रीकरण का बिन्दु चिन्हित करायेगा। जहॉ नगर निकाय द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली गाड़ी को दिये जाने के लिये एकत्रित अपशिष्ट को लाया जायेगा। कूडा गाड़ी की सेवायें नगर निकाय द्वारा मार्ग (रूट) योजना के अनुसार एकत्रित कूड़े को इकट्ठा करने के लिये उपलब्ध करायी जायेगी। अपशिष्ट के परिवहन हेतु प्रयुक्त होने वाले वाहन मे रखा गया कूड़ा ढॅका रहेगा।

13–**स्रोत पर ही एकत्रीकरण–**

भवन स्वामियों या अध्यासियों द्वारा भवनों या भवन समूहों के परिसर के भीतर उपलब्ध कूड़ा स्त्रोत स्थान से एकत्रीकरण की व्यवस्था की जा सकेगी और नगर निकाय की गाड़ियों/कर्मचारियों द्वारा उस कूड़ा पात्रों तक ऐसे समय तक पहुंचाई जायेगी जैसा अधिसूचित किया जाय।

14– **सार्वजनिक स्थलों पर सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र–**

अपवादिक मामलों मे जहां स्थान-स्थान पर एकत्रीकरण या स्त्रोत पर ही एकत्रीकरण सम्भव न हो, वहां नगर निकाय द्वारा सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र का सार्वजनिक सड़कों पर या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जहां आवश्यक और संभव हो, रख रखाव किया जायेगा जैसा कि अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त अधिकृत कोई प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाय।

15– **अपशिष्ट छटाई केन्द्र–**

पुनर्चक्रीय और अपुनर्चक्रीय अपशिष्ट की छटाई कार्य को विनियमित करने तथा सुविधापूर्ण बनाने के लिए संबंधित अधिकारी उतने अपशिष्ट छॅटाई केन्द्रों की व्यवस्था करेगा जो आवश्यक और संभव हो। ये अपशिष्ट छटाई केन्द्र नगर निकाय की भूमि पर या सरकारी अथवा अन्य निकायों की भूमि पर हो सकते है, जो इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से शेड या गुमटी के रूप मे उपयुक्त सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध कराये जायेगें। इनकी व्यवस्था कूड़ा बिनने वालों की रजिर्स्टड सहकारी समितियों या अनुज्ञा प्राप्त रीसाइक्लर्स या नगर निकाय द्वारा नियुक्त अथवा प्राधिकृत अन्य अभिकरणों द्वारा भी की जायेगी।

जैव अपघटन योग्य अपशिष्ट के भण्डारण के लिए ''हरे रंग'' के डिब्बे पुर्नचक्रण योग्य अपशिष्ट के लिए ''नीले रंग'' एवं अन्य अपशिष्ट के लिए ''काले रंग'' के डिब्बे का उपयोग किया जायेगा।

छॅटाई के बाद अवशेष अपुनर्चक्रीय कूड़े को प्रसंस्करण या भूमि भराव के लिए ऐसे छॅटाई केन्द्रों से कूडा निस्तारण स्थलों पर भेजा जायेगा। ऐसे अपशिष्ट छॅटाई केन्द्रों पर विभिन्न प्रकार के कूड़े को अधिसूचित दरों पर क्रय एवं विक्रय का कार्य अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

16– **समय सारिणी तथा एकत्रीकरण का मार्ग–**

नगरीय ठोस अपशिष्ट के दैनिक तथा साप्ताहिक एकत्रीकरण की समय सारिणी एवं मार्ग का निर्धारण सम्बन्धित अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं अधिसूचित किया जायेगा। इनका विवरण सम्बन्धित कार्यालयों में भी उपलब्ध रहेगा।

17– **स्थानीय नागरिक समूह–**

स्वयं सहायता समूहों के गठन को सुगम बनाना उन्हें पहचान कर पत्र उपलब्ध कराना और तद्परान्त घर-घर जाकर अपशिष्ट संग्रह करते सहित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन में एकीकरण को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

स्वैच्छिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों अथवा स्थानीय नागरिक समूहों का विनिर्दिष्ट प्रशासनिक प्रभार इकट्ठा करने हेतु अनुबन्ध के आधार पर नगर निकाय द्वारा प्राधिकृत किया जा सकेगा, जिससे वे अपने क्षेत्र को साफ रख सके। सड़कों की सफाई, कूड़े के एकत्रीकरण, परिवहन, कम्पोस्टिंग आदि के लिये निर्धारित इकाई दरों पर नगर निकाय या स्वामियों या अध्यासियों से भुगतान प्राप्त कर सकेगे। पंजीकरण प्रक्रिया, माडल उपविधियॉ तथा स्थानीय नागरिक समूहों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा गैर सरकारी संगठनो हेतु माडल अनुबन्ध का प्रारूप नगर पालिका की कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन पर उपलब्ध करायी जायेगी।

18– **सफाई अभियान–**

उन क्षेत्रों मे जिनको विशेष सफाई अभियान के लिये आवश्यक समझ कर चिन्हित किया जाये और जहॉ स्थानीय पार्षद या सदस्य या नागरिक सहयोग के लिये आगे आते हों सफाई अभियान का आयोजन किया जायेगा। ऐसे विशेष अभियानों के लिये अपेक्षित अतिरिक्त संसाधन और सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा।

19– **जागरूकता शिक्षा और प्रशिक्षण–**

अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी स्वयंसेवी संस्थाओं, स्थानीय नागरिक समूहों, नगर निकायकर्मी और उसके अभिकर्ता नगर के स्कूल, आवासीय समितियों, गन्दी बस्तियों, दुकानों,

फेरी वालों, अपशिष्ट चुनने वालों/संग्रहकर्ता को कार्यालय संकुलों, औद्योगिक इकाईयों, वाणिज्यिक यूनियनों, सकल एरिया सिटिजन ग्रुप आदि से सफाई के सम्बन्ध में शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण आवश्यकताओं का पता लगाया जायेगा। उसके पश्चात् इन सबकी शिक्षा, जागरूकता, सहभागिता एवं प्रशिक्षण के लिये एक समन्वित योजना एव रणनीति तैयार कर उसे कार्यान्वित की जायेगी। इसमे नगर निकाय की कक्ष समितियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

20– **अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए जनसहभागिता को प्रोत्साहन–**

जन सहभागिता और सहयोग से किये गये सफाई कार्य और अपशिष्ट प्रबन्धन के सर्वोत्तम कार्यों के लिये नगर निकाय द्वारा प्रशंसा-पत्र और पुरस्कार प्रदान किया जायेगा तथा प्रचारित किया जायेगा।

21– **शिकायतों का निस्तारण–**

नगर निकाय इस नियमावली के प्राविधानों के क्रियान्वन हेतु कम्प्लेण्ट मैनेजमेण्ट सिस्टम को संचालित करेगा या एक समुचित नया आनलाईन कम्पलेण्ट मैनेजमेण्ट सिस्टम तैयार करेगा। शिकायतों और कृत कार्यवाही की रिपोर्ट के आंकडे ऑनलाईन ग्रिवान्स मैनेजमेण्ट सिस्टम (ओ0जी0एम0एस0)/ सिटिजन्स पोर्टल में प्रदर्शित की जायेगी।

22– **नागरिकों की सफाई टीम–**

अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद क्षेत्र में स्वच्छता एवं सफाई कार्यो में विशेष रूचि एवं सहयोग प्रदान करने वाले नागरिकों को स्वच्छाग्राही नामित कर सकता है। सम्बन्धित नागरिक नगर के प्रत्येक वार्ड में सफाई टीम का भी गठन कर सकते हैं तथा सर्वेक्षण करके सफाई के अनुश्रवण हेतु नियमित रिपोर्ट उपलब्ध करा सकते हैं। इन रिपोर्टों को नगर निकाय कार्मिकों को अग्रसारित किया जायेगा और सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित भी किया जायेगा ताकि इसके माध्यम से उस क्षेत्र की सफाई और अनुश्रवण सुनिश्चित हो सके। इसमें नगर निकाय की कक्ष समितियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

23–**रूचि की अभिव्यक्ति–**

किसी क्षेत्र को साफ रखने या कूड़े के पृथक्करण, पुनरावर्तन या कूड़े के प्रसंस्करण की सुविधाओं की स्थापना, कम्पोस्टिग, वर्मी कम्पोस्टिंग, बायो– मिथेनीकरण आदि की अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जायेगी। रूचि की अभिव्यक्ति के ऐसे सभी आमंत्रण के विवरण सभी वार्ड कार्यालयों मे तथा वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी तथा प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा और मूल्यांकन नगर निकाय द्वारा किया जायेगा।

24– **आकस्मिक निरीक्षण–**

अनुपालन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से नगर निकाय की म्युनिसिपल सीमाओं में सम्बन्धित अधिकारी अपने-अपने वार्डो के विभिन्न भागों में किसी भी समय (दिन या रात) आकस्मिक जॉच करेगें। किसी उल्लंघन के लिए अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकेगा। निरीक्षण के दौरान पाये जाने वाले कूड़े-कचरे की सफाई नगर निकाय द्वारा की जायेगी और उसमे अन्तर्ग्रस्त व्यय उल्लंघनकर्ता से वसूला जा सकेगा।

25– **नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में दायित्व–**

(1) मलिन बस्तियों की सफाई के संबंध में दायित्वः–

क–अधिशासी अधिकारी ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए जहॉ-जहॉ भी योग्य समुदाय आधारित संगठन आगे आयें, वर्तमान में अनाच्छादित क्षेत्रों में उनके वार्डो के अन्तर्गत दत्तक बस्ती योजना (मलिन बस्ती अपनाने को अन्तर्गत) का विस्तार करेगें।

ख–जहॉ आवश्यक हो नगर निकाय की गाड़ी पृथकीकृत ठोस अपशिष्ट का संग्रह करने के लिए मलिन बस्ती के बाहर किसी स्थान पर नियत समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।

ग–अपवादिक मामलों में जब तक गाड़ी की सेवायें तत्समय सार्वजनिक मार्ग या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर किसी चिन्हित बिन्दु पर अपेक्षित अन्तराल पर उपलब्ध नहीं करायी जा सकती हो, नगर निकाय द्वारा मानव सेवित सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण कूड़ादान की व्यवस्था की जायेगी जहॉ कूड़ा उत्पन्न करने वालों के द्वारा पृथकीकृत अपशिष्ट जमा किया जायेगा और वहॉ से नगर निकाय ऐसे अपशिष्ट का संग्रह करेगी।

(2) मुर्गी पालन, मछली और बूचड़खाना अपशिष्ट उत्पादक के दायित्व–

चिन्हित बूचड़खानों और बाजारों से भिन्न किसी भू-गृहादि का स्वामी या अध्यासी जो मुर्गी मछली और बूचड़खाना अपशिष्ट को किसी व्यावसायिक गतिविधि के फलस्वरूप उत्पन्न करता है ढॅकी हुई, स्वच्छ स्थिति में उसका पृथक भण्डारण करेगा और इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराये गये नगर निकाय के संग्रह वाहन को विनिर्दिष्ट समय पर दैनिक रूप से पहुॅचायेगा। किसी सामुदायिक कूड़ादान में ऐसे अपशिष्ट का जमा करना निशिद्ध है और अर्थदण्ड की अनुसूची में इंगित अर्थदण्ड का भागी होगा।

(3) ठेले वालों/फेरी वालों के दायित्व–

प्रत्येक ठेले वालों या फेरी वालों सामान बेचने की गतिविधि से उत्पन्न किसी अपशिष्ट के संग्रह के लिए अलग-अलग डिब्बे या कूड़ादान रखेगा। सम्यक् रूप से पृथक् किये गये अपशिष्ट को नगर कूड़ा गाड़ी या निकाय चिन्हित सामुदायिक अपशिष्ट भण्डराण कूड़ादान तक पहुंचानें का दायित्व कूड़ा उत्पन्न करने वाले का होगा।

(4) नाली की सफाई का दायित्व–

घरेलू नाली वाले भू-गृहादि के स्वामी अथवा अध्यासी का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वह घर की नाली में कोई अपशिष्ट नहीं इकट्ठा करेगा और नगर निकाय द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे स्थान और ऐसे समय पर नगर निकाय द्वारा उपलब्ध कराये गये अपशिष्ट संग्रह वाहन तक ठोस अपशिष्ट को अलग अलग करके पहुॅचाया जाये। ऐसा करने में विफल रहने पर अर्थदण्ड की अनुसूची के अनुसार अर्थदण्ड का भागी होगा।

जहॉ ऐसे भू-गृहादि का स्वामी या अध्यासी घर की नाली की सफाई के लिए नगर निकाय की सेवायें प्राप्त करने की इच्छा करता है तो उसे नगर निकाय से सम्बन्धित वार्ड कार्यालय में आवेदन करना होगा। नगर निकाय द्वारा यथानिर्धारित प्रयोक्ता शुल्क का भुगतान प्राप्त कर घर की नाली की सफाई कराई जा सकेगी।

(5) पालतू पशु स्वामी का दायित्व–

किसी पालतू पशु के स्वामी का यह दायित्व होगा कि गली या सार्वजनिक स्थान पर पालतु पशु द्वारा फैलाई गयी किसी गन्दगी को शीघ्रता से हटा दे अन्यथा ऐसे अपशिष्ट के समुचित निस्तारण के लिए अर्थदण्ड की अनुसूची के अनुसार अर्थदण्ड का भागी होगा।

(6) सार्वजनिक सम्मेलन और समारोह आयोजनकर्ता का दायित्व–

सार्वजनिक स्थान पर आयोजित किसी भी प्रकार के सार्वजनिक सम्मेलन और समारोह (जिसमें जुलूस प्रदर्शनी, सर्कस मेलों या राजनैतिक दलों की रैली, व्यावसायिक धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक समारोह विरोध प्रदर्शन धरना– प्रदर्शन इत्यादि शामिल है) के लिए जिसमें पुलिस और/या नगर निकाय की अनुमति अपेक्षित है समारोह या सम्मेलन के संयोजक का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों की सफाई सुनिश्चित करे।

नगर निकाय द्वारा यथा अधिसूचित प्रतिदेय स्वच्छता प्रभार प्रयोक्ता आयोजक से समारोह की अवधि के लिए संबधित कार्यालय में जमा कराया जायेगा। यह प्रभार केवल सार्वजनिक स्थल की सफाई के लिए होगा। इसमें सम्पत्ति की क्षति आच्छादित नही होगी।

(7) निपटान योग्य उत्पादों तथा स्वास्थ्यकर नैपकीनों और डाइपर के विनिर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों के कर्तव्य–

(क) स्वास्थ्य कर नैपकीनों तथा डाइपरों के विनिर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों या विपणन कम्पनियों द्वारा अपनी उत्पादों में सभी पुर्नचक्रण योग्य सामग्रियों के प्रयोग की सम्भाव्यता का पता लगायेंगे या अपने स्वास्थ्य कर उत्पादों के पैकेट के साथ प्रत्येक नैपकीन या डाइपर के निस्तारण के लिए एक पाउच या रैपर उपलब्ध करायेंगे।

(ख) ऐसे सभी विनिर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों या विपणन कम्पनियों द्वारा अपनी उत्पादों को लपेटने और उनका निस्तारण करने के सम्बन्ध में लोगों को जानकारी दी जायेगी।

26– **नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति–**

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद निश्चित करती है कि इस उपविधि के किसी भी नियम का उल्लघंन करना अथवा उल्लंघन के लिये दुष्प्रेरित करना दण्डनीय अपराध होगा। ऐसे व्यक्ति संस्था अथवा अन्य के विरुद्ध नियमानुसार अभियोजन संस्थित किया जायेगा।

27– अपराधों का प्रशमन–

इस नियमावली के अधीन दण्डनीय कोई अपराध अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा उक्त कार्यों के लिए अनुबन्धित संस्थाओं द्वारा शमन शुल्क की ऐसी धनराशि के जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उल्लिखित है, वसूल करके प्रशमित किया जा सकता है परन्तु शर्त यह होगी कि निकाय में बाहरी संस्थाओं द्वारा वसूल की गयी प्रशमन शुल्क कि धनराशि का 75 प्रतिशत उसी दिन नगर निकाय कोष में जमा करना होगा व उसकी लिखित सूचना व सूची नगर निकाय के सफाई अनुभाग में प्रस्तुत करनी होगी। शेष 25 प्रतिशत धनराशि संस्थाएं अपने पास रखेंगी और जहां अपराध का इस प्रकार प्रशमन,

(क) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाता है वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजन का भागी नहीं होगा और यदि वह अभिरक्षा में हो तो स्वतंत्र कर दिया जायेगा।

(ख) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाता है, वहां प्रशमन से अपराधी दोषमुक्त हो जायेगा। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/समूह को विहित प्राधिकारी/कर्मचारी की पृक्षा पर अपना नाम व पता घोषित करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु विहित अधिकारी/कर्मचारी स्वतंत्र होगा और ऐसे व्यक्ति/संस्था अथवा समूह के भार साधक व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में लेते हुए स्थानीय थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी/पुलिस कर्मियों को अग्रिम कार्यवाही हेतु सौंप देगा।

अनुसूची-1

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि, 2017

प्रशमन शुल्क तालिका

क्र0 सं0	उल्लंघन	प्रथम बार प्रशमन शुल्क	तीन वर्ष की अवधि में दोबारा उल्लघंन की दशा में प्रशमन शुल्क	नगर निकाय द्वारा अपशिष्ट उत्पादक के दायित्यों का निर्वहन करने की दशा में प्रशासकीय व्यय की धनराशि
1	2	3	4	5
		रु0		रु0
1	व्यक्ति/संस्था द्वारा किसी अनाधिकृत स्थल पर किसी–			
	(1) अपशिष्ट फैलाना/फेकना	200.00	प्रशमन शुल्क का पॉच गुना	500.00
	(2) थूकना	100.00	,,	250.00

1	2	3	4	5
		रु0		रु0
	(3) मूत्र विर्सजन करना	100.00	,,	250.00
	(4) जनवरों को अनिर्दिष्ट स्थान पर खिलाना	500.00	,,	1,500.00
	(5) वाहनों की धुलाई	500.00	,,	1,500.00
	(6) कपड़े धोना	500.00	,,	1,500.00
	(7) सार्वजनिक स्थान, नदी, तालाब या कुंड में गंदगी फैलाना	500.00	,,	1,500.00
2	मार्ग, पार्क, घाटों, आदि सार्वजनिक स्थल, की सफाई हो जाने के बाद अपशिष्ट डालने पर	500.00	,,	1,000.00
3	घाटों, सीढ़ियों, सड़कों के डिवाडर, नाम पटों, साइनेज या मार्ग दर्शक बोर्डों अथवा इसी प्रकार के सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर या अन्य सामग्री चिपकाकर या अन्य प्रकार से गंदगी करने/कराने पर	500.00	,,	1,000.00
4	पालतू पशुओं को खुला छोड़कर मार्गों/खुले सार्वजनिक स्थलों पर उनके मलमूत्र से गंदगी, आवागमन में अवरोध पैदा करने/कराने पर	500.00	,,	1,000.00
5	नाले नालियों, ड्रेनेज/सीवेरेज सिस्टम में गोबर इत्यादि डालकर गन्दगी करने पर–			
	(क) पशु पालक 5 जानवरों तक	1,000.00	,,	5,000.00
	(ख) पशु पालक 5 जानवरों से अधिक व 25 जानवरों तक	5,000.00	,,	10,000.00
	(ग) पशु पालक 25 जानवरों से अधिक	10,000.00	,,	20,000.00
6	डस्टबिन/स्टोरेज कन्टेनर के बाहर अपशिष्ट फैलाना	500.00	,,	शून्य
7	उपकरणों/ कपड़ों अन्य किसी सामग्री की अनिर्दिष्ट स्थल पर धुलाई	500.00	,,	शून्य
8	किसी परिसर में 24 घंटे से अधिक की अवधि के लिए कूड़ा-करकट को बनाये रखना	500.00	,,	500.00
9	कानून का उल्लंघन करते हुए शव का अनियमित निस्तारण	1,000.00	प्रशमन शुल्क का पॉच गुना	

1	2	3	4	5
		रु0		रु0
10	अपने परिसर को स्वच्छ रखने में असफल रहना–		,,	
	(क) डबलिंग यूनिट/भवन/फ्लैट	500.00	,,	शून्य
	(ख) दुकान/बूथ	400.00	,,	शून्य
	(ग) माल/मल्टीप्लेक्स/शापिंग आर केड/होटल	5,000.00	,,	शून्य
	(घ) शैक्षणिक/धार्मिक/अन्य संस्थान	2,000.00	,,	शून्य
11	प्रतिबन्धित पालीथीन आइट्मस का उत्पादन, वितरण, भण्डारण एवं विक्रय करने पर	5,000.00	,,	शून्य
12	थर्मोकोल आइट्मस का उत्पादन, वितरण, भण्डारण एवं विक्रय करने पर	1,000.00	,,	शून्य
13	बिना पृथक्करण किये हुए तथा बिना अलग-अलग निर्धारित बिन में रखे हुए कूड़े को सौंपना–		,,	
	(क) व्यक्तिगत भवन	200.00	,,	
	(ख) दुकान/बूथ	500.00	,,	
	(ग) माल/मल्टीप्लेक्स/शापिंग आर केड/होटल	5,000.00	,,	
	(घ) शैक्षणिक/धार्मिक/अन्य संस्थान	2,000.00	,,	
	(ड.) औद्योगिक भूखण्ड/यूनिट	5,000.00	,,	
	(च) इवेन्ट आरगेनाइजर्स	5,000.00	,,	
14	वृहद् अपशिष्ट (100 किलो ग्राम प्रतिदिन से अधिक) उत्सर्जकों द्वारा अपशिष्ट के उपचार के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माण न करना	5,000.00 प्रतिमाह	10,000.00 प्रतिमाह	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय
15	विनिर्दिष्ट परिसंकटमय अपशिष्ट (हजार्ड्स वेस्ट) को सार्वजनिक अथवा प्राइवेट स्थल पर डम्प करने पर	2,000.00	4,000.00	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय
16	बायोमेडिकल अपशिष्ट को अन्य अपशिष्ट के साथ डम्प करने पर	5,000.00	10,000.00	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय
17	विनिर्दिष्ट परन्तु परिसंकटमय अपशिष्ट को यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर	1,000.00	2,000.00	————
18	जैव चिकित्सीय अपशिष्ट की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर	1,000.00	2,000.00	————

1	2	3	4	5
		रु0		रु0
19	निर्माण और ढहाने के अपशिष्ट का यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से भण्डारण न करने/अधिकृत एजेन्सी को डिलीवरी न करने पर	500.00 प्रतिटन	प्रशमन शुल्क का पॉच गुना उपरोक्तानुसार	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय
20	शुष्क अपशिष्ट की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर	500.00	500.00	————
21	उद्यान अपशिष्ट और पेड़ों की छॅटाई के कूड़े की यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर	1,000.00	2,000.00	1,000.00
22	अपशिष्ट जलाकर निस्तारण करने पर	1,000.00	2,000.00	————
23	खुले में शौच करने पर	500.00	1,000.00	————
24	पालतू जानवारों के अपशिष्ट को सार्वजनिक गलियों/सड़कों/ पार्क में फेकना	500.00	1,000.00	1,000.00
25	घरेलू अपशिष्ट से भिन्न मछली, मुर्गा और अपशिष्ट की यथानिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर	500.00	1,000.00	1,000.00
26	बिना डिब्बा/अपशिष्ट टोकरी के ठेले वालों/फेरी वाले/ दुकानदारों के लिए	100.00	200.00	————
27	पालतू रखे गये पशुओं द्वारा कूड़ा फैलाए जाने के लिए	500.00	1,000.00	1,000.00
28	व्यक्ति/संस्था/प्रतिष्ठान द्वारा सार्वजनिक स्थल पर अनधिकृत रूप से पानी बहाने पर	1,000.00	2,000.00	————
29	सार्वजनिक सम्मेलन/समारोह के पश्चात 24 घण्टें के भीतर सफाई न करने के लिए	5,000.00	10,000.00	सफाई करने पर आने वाले वास्तविक व्यय की वसूली एवं स्वच्छता डिपाजिट जब्त कर लेना।

नोट–

1–उपरोक्त प्रशमन/समझौता शुल्क/चार्जेज के दो वर्षों के उपरान्त पुनः निर्धारण का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा। इसके पुनः निर्धारण के उपरान्त पूर्व की दरें स्वतः निष्प्रभावी हो जायेंगी।

2–अधिकृत अधिकारी/एजेन्सी द्वारा प्रतिबन्धित पालीथीन/थरमाकोल अथवा अन्य प्रतिबन्धित सामग्री का उत्पादन एवं वितरण उसी स्थान/यूनिट से बार-बार पाये जाने पर उनके द्वारा ऐसी यूनिट को बन्द करने की संस्तुति अधिशासी अधिकारी को की जायेगी एवं इस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ऐसी यूनिट को बन्द करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कहा जायेगा।

3–यदि अधिकृत अधिकारी/एजेन्सी या कोई भी सामान्य नागरिक किसी कर्मचारी को खुले में कूड़ा जलाते हुए पाया जाता है तो वे उसकी रिपोर्ट निकाय के अधिकारी को उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे।

अनुसूची-2

जैवनाशित और पुनर्चक्रीय अपशिष्ट की सूची

जैवनाशित अपशिष्ट (उदाहरणार्थ स्वरूप)	पुनर्चक्रीय अपशिष्ट (उदाहरणार्थ स्वरूप)
जैवनाशित अपशिष्ट से तात्पर्य जीवाणु या अन्य जीवित प्राणियों द्वारा अपघटित या नाशित किये जाने योग्य कूड़ा कचरा या अपशिष्ट सामग्री से है।	पुनर्चक्रीय अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे शुष्क अपशिष्ट से है जिसे नयी वस्तुओं के उत्पादन से है जिसे नयी वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री में एक प्रक्रिया के माध्यम से परिवर्तित किया जा सके और जो मूल उत्पाद के समान हो सकता है और नहीं भी हो सकता है।
रसोई घर का अपशिष्ट जिसमें चाय की पत्ती, अण्डे के छिलके, फल और सब्जियों के छिलके शामिल हैं।	समाचार-पत्र
मांस और हड्डियां	कागज, पुस्तकें, पत्रिकायें
उद्यान व पत्तियों का कूड़ा करकट जिसमें फूल भी है।	शीशा
पशुओं का कूड़ा करकट	धातु के पदार्थ और तार
गोबर	प्लास्टिक
सफाई के बाद घर की गंदगी	फटे कपड़े
नारियल के छिलके	चमड़ा
राख	रेक्सीन
अन्य इसी कोटि के अपशिष्ट	रबर
	लकड़ी/फर्नीचर
	पैकिंग के सामान एवं अन्य इसी प्रकार के।
	अन्य इसी कोटि के अपशिष्ट

अनुसूची-तीन

जैव चिकित्सीय अपशिष्ट की सूची

जैव चिकित्सीय अपशिष्ट–

जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो मनुष्यों या पशुओं के निदान या बेहोशी के दौरान या उनसे सम्बन्धी शोध कार्यों के दौरान या जीव विज्ञान के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न होता है।

1–धारदार अपशिष्ट–

सुईयां, सिरींज, छुरिया, ब्लेड, शीशा इत्यादि जिनसे छेद या कटाव हो सकता है इसमें प्रयुक्त और अप्रयुक्त धारदार दोनों हैं।

2–बेकार दवाइयां और साइटोटाक्सिक औषधियां–

अवसान तिथि के बाद की दूषित और बेकार दवाईयों के अपशिष्ट

3–ठोस अपशिष्ट–

उक्त और शरीर द्रव से दूषित सामग्री जिनमें रूई, पट्टी, प्लास्टर पट्टी, कपड़े की पट्टी, बिस्तर, चादर और रक्त से दूषित अन्य सामग्री।

अनुसूची-4

आवासीय/अनावासीय भवनों के परिसर का कूड़ा उठाने के लिए प्रस्तावित प्रयोक्ता शुल्क/यूजर चार्ज

आवासीय	विवरण	दर/प्रतिमाह
1	2	3
		रु0
श्रेणी क	गृहकर से छूट वाले परिवार	30.00 प्रतिमाह
श्रेणी ख	200 वर्ग मी0 क्षेत्रफल तक आवासीय ईकाई	80.00 प्रतिमाह
श्रेणी ग	200 वर्ग मी0 से अधिक क्षेत्रफल वाली आवासीय ईकाई	100.00 प्रतिमाह
श्रेणी घ	हाउसिंग सोसाईटी, अपार्टमेन्ट प्रति फ्लैट	40.00 प्रतिमाह
श्रेणी ड.	यात्री धर्मशालायें/धर्मशाला	30.00 प्रतिमाह
अनावासीय/व्यवसायिक		
श्रेणी क	100 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक की दुकान	50.00 प्रतिमाह
श्रेणी ख	100 वर्ग फीट से 200 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक की दुकान	100.00 प्रतिमाह
श्रेणी ग	200 वर्ग फीट क्षेत्रफल से अधिक की दुकान	150.00 प्रतिमाह
श्रेणी घ	पब्लिक स्कूल तथा कोचिंग सेन्टर 100 छात्र एवं छात्रायें तक	150.00 प्रतिमाह
	पब्लिक स्कूल तथा कोचिंग सेन्टर 101 से 500 छात्र एवं छात्रायें तक	300.00 प्रतिमाह
	पब्लिक स्कूल तथा कोचिंग सेन्टर 501 से ज्यादा छात्र एवं छात्रायें	500.00 प्रतिमाह
श्रेणी ड.	इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, मैनेजमेन्ट कॉलेज एवं प्राईवेट स्नातक/स्नातकोत्तर कालेज, सेन्टर शॉपिग कम ऑफिस कॉम्पलैक्स, प्राईवेट शिक्षण संस्थाएं, प्राईवेट हॉस्टल	500.00 प्रतिमाह
श्रेणी च	बैंक कार्यालय, एल.आई.सी. कार्यालय, आदि एवं गेस्ट हाउस तथा होटल 10 कमरों तक, रेस्टोरेण्ट	500.00 प्रतिमाह
श्रेणी छ	मैरिज होम, माल्स, बैक्विट हाल, क्लब, सिनेमा हॉल, होटल 10 कमरों से अधिक	1,000.00 प्रतिमाह
श्रेणी ज	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/सरकारी अस्पताल	200.00 प्रतिमाह
श्रेणी झ	प्राईवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लीनिक आदि (20 बेड तक)	500.00 प्रतिमाह
श्रेणी ञ	प्राईवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम (20 बेड से अधिक)	1,000.00 प्रतिमाह
श्रेणी ट	पैथोलॉजी लैब	200.00 प्रतिमाह
श्रेणी ठ	क्लीनिक	100.00 प्रतिमाह
श्रेणी ड	अन्य सरकारी कार्यालय/सरकारी स्कूल	100.00 प्रतिमाह
श्रेणी ढ	दवाईयों की दुकान	150.00 प्रतिमाह
श्रेणी ण	रिटेल चैन्स (जैसे बिग बाजार, विशाल, मैट्रो बाजार आदि)	1,000.00 प्रतिमाह
श्रेणी त	रोड साईड वेन्डर (वेन्डर जोन सहित)	5.00 प्रतिदिन
श्रेणी थ	रोड साईड फास्ट फूड कार्नर, चाय/जूस की दुकान व चाट हाऊस आदि	10.00 प्रतिदिन

1	2	3
		रु0
श्रेणी द	गोदाम एवं वेयरहाऊस 1000 वर्ग फीट	250.00 प्रतिमाह
श्रेणी ध	गोदाम एवं वेयरहाऊस 1001 वर्ग फीट से 5000 वर्ग फीट तक	500.00 प्रतिमाह
श्रेणी न	शराब की दुकानें	500.00 प्रतिमाह
श्रेणी प	हाट, मार्केट, साप्ताहिक बाजार	25.00 प्रतिदिन प्रति स्टाल
श्रेणी फ	शोरूम, सर्विस सेन्टर व छोटे गैराज	200.00 प्रतिमाह
श्रेणी ब	प्रदर्शनी ग्राऊण्ड, मेला	100.00 प्रतिदिन
श्रेणी भ	छोटे और कुटीर उद्योग कार्यशालाएं (केवल गैर खतरनाक/प्रदूषक) प्रतिदिन 10 कि0ग्राम तक अपशिष्ट	150.00 प्रतिमाह
श्रेणी म	प्रिंटिंग प्रेस	100.00 प्रतिमाह
श्रेणी य	पैट्रोल पम्प	200.00 प्रतिमाह
श्रेणी र	ऐसे भवन जिनमें पालतू पशु (यथा– भैंस, गाय, भेड़, बकरी, सूअर आदि) पाल रखें हों, जिनका व्यावसायिक उपयोग न किया जाता हो	20.00 प्रतिमाह निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त देय होगा
श्रेणी ल	अन्य जो उपरोक्त में छूट गया हो	जो नगर पालिका द्वारा निर्धारित किया जाए।

नोट–

1–प्रयोक्ता शुल्क भुगतान न करने की दशा में अधिशासी अधिकारी या उनके प्राधिकृत अधिकारी को इन उपविधियों में वर्णित की गयी दरों के अनुसार देय धनराशि के अतिरिक्त उसका 20 गुना तक शमन शुल्क (कम्पाउन्डिंग फीस) वसूल करने का अधिकार होगा।

2–यदि कोई उपभोक्ता एक वर्ष का प्रयोक्ता शुल्क अग्रिम (एडवांस) जमा करता है तो वह 01 माह के प्रयोक्ता शुल्क की छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

3–विधवा/बेसहारा महिला एकल रूप से (50 वर्ग गज मकान में स्वयं निवास करती हो) प्रयोक्ता शुल्क से मुक्त रखा जायेगा, जिसका प्रमाण-पत्र प्रत्येक वर्ष नगर पालिका परिषद, से प्राप्त करना होगा। यदि भवन अथवा भवन का आंशिक भाग किराये पर दिया गया है तो वह भवन स्वामी छूट प्राप्त करने हेतु पत्र नहीं होगा।

4–वह वरिष्ठ नागरिक जो आर्थिक रूप से कमजोर हो तथा 100 वर्ग गज तक के मकान में निवास करते हों, एवं शारीरिक अथवा मानसिक रूप में अस्वस्थ हों एवं उनके साथ वृद्ध पत्नी के अतिरिक्त अन्य कोई परिवारजन अथवा अन्य सहायक आवासित न हो उनको प्रयोक्ता शुल्क से मुक्त रखा जायेगा परन्तु ऐसे वरिष्ठ नागरिक को नगर पालिका परिषद्, बुलन्दशहर से इस सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा प्रतिवर्ष उसका नवीनीकरण कराना होगा।

5–जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपरोक्त अनुसूची-4 की सीमा में नहीं आयेंगे। इनका निस्तारण जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के अन्तर्गत होगा।

6–प्रयोक्ता शुल्क अनुसूची-4 में वर्णित शुल्क प्रत्येक 2 वर्ष में पालिका द्वारा पुनरीक्षित की जा सकेगी। पुनरीक्षण का अधिकार अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद्, बुलन्दशहर में निहित होगा। उपरोक्त उपविधि में पुनरीक्षण के पश्चात् शुल्क में की गयी वृद्धि किसी भी दशा में 10 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

निहाल चन्द,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्,
बुलन्दशहर।

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 05 जुलाई, 2020 को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन में श्री जानकी शरण पाण्डेय, एडवोकेट, लखनऊ व श्री रोहिताश्व कुमार अग्रवाल, एडवोकेट, मेरठ को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पद पर एवं श्री अंकज मिश्र, एडवोकेट, कानपुर नगर को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष के पद पर नियमानुसार निर्वाचित घोषित किया गया।

श्री जानकी शरण पाण्डेय, एडवोकेट, लखनऊ का कार्यकाल प्रथम 6 माह अर्थात् 06 जुलाई, 2020 से 05 जनवरी, 2021 तक तथा श्री रोहिताश्व कुमार अग्रवाल का कार्यकाल द्वितीय 6 माह के लिये अर्थात् 06 जनवरी, 2021 से 05 जुलाई, 2021 तक अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के रूप में प्रभावी रहेगा तथा श्री अंकज मिश्र का कार्यकाल दिनांक 06 जुलाई, 2020 से पूरे 01 वर्ष के लिये उपाध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के रूप में रहेगा।

श्री जानकी शरण पाण्डेय, एडवोकेट, लखनऊ, श्री रोहिताश्व कुमार अग्रवाल, एडवोकेट, मेरठ एवं श्री अंकज मिश्र, एडवोकेट, कानपुर नगर का पता फोन नम्बर सहित निम्नवत् है–

1–श्री जानकी शरण पाण्डेय, एडवोकेट, अध्यक्ष,
बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, नि0 154,
समर विहार, आलमबाग, जिला लखनऊ।

ई-मेल : jankirct@yahoo.co.in
मोबाइल : 9415002970, 8445799000
पंजीकरण संख्या : यू0पी0 4132/1990

2–श्री रोहिताश्व कुमार अग्रवाल, एडवोकेट, अध्यक्ष,
बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, नि0 ए-10, जवाहर क्वार्टर, निकट दयानन्द नर्सिंग होम, बेगम ब्रिज रोड, मेरठ, जिला मेरठ।

ई-मेल : rohitashwaagarwal@gmail.com
मोबाइल : 9358401493, 9412203287, 9760011664, 6399241234
पंजीकरण संख्या : यू0पी0 1207/1976

3–श्री अंकज मिश्र, एडवोकेट, उपाध्यक्ष,
बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, नि0 मकान नं0 120/514, शिवाजी नगर, जिला कानपुर नगर।

ई-मेल : ankajmishraadv11@gmail.com
मोबाइल : 9919501457
पंजीकरण संख्या : यू0पी0 5383/2000

बलवन्त सिंह,
सदस्य–सचिव/निर्वाचन अधिकारी,
बार काउंसिल ऑफ, उत्तर प्रदेश।

सूचना

हमारी फर्म मेसर्स हाई-टैक सोल्यूशन्स, पता-58 बी, पाकेट-बी, से0-105, नोएडा, गौतमबुद्धनगर, जिसमें पांच पार्टनर थे। जोकि निम्न प्रकार हैं–

1–श्री संजीव कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मोहन लाल अग्रवाल, निवासी-45, मोहल्ला होली वाला, निकट मिश्रा फोटो स्टेट, हसनपुर, जनपद ज्योतिबा फूले नगर।

2–श्रीमती कमल चड्ढा पत्नी स्व0 एस0के0 चड्ढा, निवासी-फ्लैट नं0 406, ब्लाक डी-6, रोहिणी, से0-6, दिल्ली।

3–श्री हरवीर सिंह पुत्र श्री जगराम सिंह, निवासी 1338, गुलधर 2, फ्रीहोल्ड, गाजियाबाद।

4–श्री आदित्य राज पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार साहू, निवासी-डी-7बी, पालम विहार एक्स्टेंशन, धर्म कालोनी, गीता प्रोपर्टी गुड़गांव, हरियाणा।

5–श्रीमती रश्मि शेखर पत्नी श्री रवि शेखर, निवासी 515, प्रथम तल, शक्ति खण्ड-3, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद।

जिसमें से दो पार्टनर श्री आदित्य राज तथा श्रीमती रश्मि शेखर, दिनांक 07 मार्च, 2020 को अपना-अपना हिस्सा लेकर फर्म से अलग हो चुके हैं तथा इन दोनों पार्टनर्स का फर्म से किसी भी प्रकार से कोई लेना-देना नहीं है। भविष्य में कुल तीन पार्टनर 1–संजीव कुमार अग्रवाल, 2–श्रीमती कमल चड्ढा, 3–हरवीर सिंह इस फर्म को संचालित करेंगे तथा अपने-अपने भागानुसार लाभ-हानि के जिम्मेदार होंगे।

संजीव कुमार अग्रवाल,
पार्टनर।

सूचना

फर्म मेसर्स ड्रीम लैण्ड डेलवलपर्स, 202, कैपिटल टावर, नियरर्स कोतवाली, 37/54, मेस्टन रोड, कानपुर में दिनांक 01 अप्रैल, 2019 को श्रीमती पायल टण्डन पत्नी श्री अभय टण्डन, नि0 फ्लैट नं0-103, आनन्द टेम्पल अपार्टमेन्ट, 7/115, स्वरूप नगर, कानपुर नगर एवं श्रीमती अरफिया बानो पत्नी मोहम्मद फहीम, नि0-173/2, जे0के0 कालोनी, जाजमऊ, कानपुर नगर सम्मिलित हो गयी हैं तथा श्री संजय कुमार गुप्ता (एच0यू0एफ0) कर्ता श्री संजय कुमार गुप्ता पुत्र श्री शंकर प्रसाद गुप्ता, नि0 74/232, धनकुट्टी, कानपुर नगर एवं श्री अभय टण्डन (एच0यू0एफ0) कर्ता श्री अभय टण्डन पुत्र श्री अजय कुमार टण्डन, नि0 फ्लैट नं0-103, आनन्द टेम्पल अपार्टमेन्ट, 7/115, स्वरूप नगर, कानपुर नगर हट गये हैं तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2019 को फर्म में निम्न पार्टनर हो गये हैं। श्रीमती पायल टण्डन पत्नी श्री अभय टण्डन, नि0 फ्लैट नं0-103, आनन्द टेम्पल अपार्टमेन्ट, 7/115, स्वरूप नगर, कानपुर नगर, श्रीमती अरफिया बानो पत्नी मोहम्मद फहीम, नि0 173/2, जे0के0 कालोनी, जाजमऊ, कानपुर नगर, मोहम्मद अब्दुल पुत्र स्व0 अमीर अली, नि0-173/2, जे0के0 कालोनी, जाजमऊ, कानपुर नगर।

मोहम्मद अब्दुल,
पार्टनर,
मेसर्स ड्रीम लैण्ड डेलवलपर्स,
202, कैपिटल टावर, नियरर्स कोतवाली,
37/54, मेस्टन रोड, कानपुर।

सूचना

पंजीकृत फर्म मे0 नागेश इण्डेन ग्रामीण वितरक–ग्राम जमालपुर, पो0 मनुहार, जिला प्रतापगढ़ की भागीदार श्रीमती मीरा देवी, दिनांक 28 जून, 2020 को फर्म से स्वेच्छा पूर्वक अपनी भागीदारी समाप्त करके अलग हो गयी हैं तथा दिनांक 29 जून, 2020 को श्री आशीष प्रताप सिंह उक्त फर्म में भागीदार के रूप में शामिल हो गये हैं। अलग हुई भागीदार श्रीमती मीरा देवी का अब फर्म से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लेन-देन तथा दायित्व शेष नहीं है।

रमेश कुमार,
भागीदार।

पी0एस0यू0पी0–15 हिन्दी गजट–भाग 8–2020 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0 प्र0, प्रयागराज।